

MR. DEPUTY-SPEAKER Mr. Maran. He is not here. Shri Parashar.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of Eighth Schedule)

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of Ninth Schedule)

SHRI ARJUN SETHI (Bhadra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted

SHRI ARJUN SETHI: I introduce the Bill.

INDIAN MEDICINE CENTRAL
COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Section 17 and Second Schedule)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

The motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE. I introduce the Bill

15 05 hrs

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL—contd.

(Amendment of Articles 19 and 326)
by Dr. Laxminarain Pandeya

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the motion moved by Dr. Laxminarain Pandeya on the 26th July, 1974:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

What is the position? Who was speaking on the last occasion?

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Hon. Deputy Speaker, Sir, by all standards we are rapidly becoming a country of young people and, Sir, in our society and in our culture we have always tried to adjust and accommodate the new thoughts, new generation and the new culture and the Indian culture and society has developed a capacity to assimilate

whatever new thoughts and changes that come into it. Therefore, when we first introduced adult franchise in this country and the voting age was fixed at 21 I had seen myself many people in this country who thought this as something which could not be practised and even many people outside thought India has done something revolutionary and the Indian democracy may not survive. But during the last 26 years we have found that we have taken to a right path and this experiment has proved to be a success. I was reading a poem written by an eminent writer, Robert Frost, in one of his most passive mood and he has written.

"Two roads diverged in a wood
and I took that one less travelled
by

And that has made all the difference."

I find that this Government and the great Congress party itself which is the harbinger of democratic thoughts in this country during the last many years have never been afraid of introducing new thoughts, and changes and thereby becoming younger and younger everyday though older in age.

Therefore, I must appeal that let the new generation get a passport to this new dense wood where there are so many forked-roads which go in different directions. This new generation which has imagination and which thinks and feels to contribute something to rejuvenate the process of our democratic institutions, I hope, they have enough scope and we have also will and determination to accommodate the new generation. Even Lord Jagannath takes a new shape every 12 years and it is called 'Nava Kalevar'. The system is: let us change. This new young generation which was born in 1955-56 have achieved the age of 18 by 1974. If we divide the years of Independence into half and half then we will find

that those who were born in 1955-56 will come into the age of 18 by 1974. Therefore, in all fairness, let us welcome this change. It may not be decided today or tomorrow; it may not be decided in two years but this is a process of thought which has started and we hope the Government will give serious consideration to this thought and, in fact, many of the young people whom I have met I found they have in their mind this aspiration and feel that they have the energy to change the present bureaucratic and depersonalised structure and they want to find some channel through which they can direct their energy to bring about something new, I have talked to many young men and I know their feelings. Any system that gets stabilised resists change without knowing that change is the only method by which internal tensions could be avoided. In this respect the following observations of Mr. MacNamara in his book called *Essence of Security* is quoteworthy:

"It has been often said that man is the only creative animal on earth, though paradoxically his resistance to change sometimes can be almost heroically obstinate. He builds institutions in order to preserve past innovations but in that very act often fails to promote the environment for the growth of new ones and so there have developed the so-called gaps that trouble our generation."

Therefore, in this age of galloping radical changes to remain relevant to our society and to our own times, it is necessary that we shall have to keep in touch with the galloping ratio of changes that are taking place all around us and even in our own country during the last four or five years. In view of these considerations, I feel that the time has come to give a fresh consideration to this matter. I do not say that the hon. Minister should agree to this proposal today; I do not say that Government must agree to it today or tomorrow, but the process of thought

[Shri Chintamani Panigrahi]

has started in the country, and in the minds of young men, and I am quite sure that the Congress Party and the Government have been seized of this matter. Many difficulties may be there, such as article 19, the Fundamental Rights and so on, but I would appeal to the hon. Minister and the Government that keeping in view the radical change that are taking place in our society and in our country and in the minds of young people the time has come when this thought process on this matter has to start, and it may be that in a period of one year or two years or three years we may think of reducing the voting age so that the vast number of younger people who are coming up now could get the opportunity for getting themselves involved in this process. In this age of protests it is better to allow them to channelise their protest though these new democratic institutions so that these institutions remain ever fresh and remain young and relevant.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before we proceed further, I would like to draw the attention of the House that when we started we had a balance of just 25 minutes for this particular discussion. But there are a large number of slips here and a number of Members named in the list. We cannot accommodate all of them, because the hon. Minister also has to reply and he has not replied yet. So, what is the pleasure of the House? What do hon. Members want?

SHRI SAT PAL KAPUR (Patiala): It may be extended by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Here is a suggestion that the time may be extended by one hour. Very well.

श्री श्री० एच० जेहता (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। जिस देश में युवक उपेक्षित होते हैं वह देश कमजोर बन जाता है। आज इस देश की भी यही हालत हो

गई है। इस देश में युवक उपेक्षित हो रहे हैं। आज इस देश के युवकों में निराशा है, हताशा है और उनमें एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जिससे उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई भविष्य ही नहीं है। आज सामाजिक क्षेत्र में युवकों को अपना कोई निश्चित स्थान लगता नहीं है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर उनको रिकग्निशन मिले। आज विद्यालयों में जैसी परिस्थिति है वहाँ भी युवक उपेक्षित हैं। एक्स-साइज बुक्स, पाठ्यपुस्तक सतुलन आहार एवं पोषण के मामले में भी वे उपेक्षित हैं जिसके कारण उनमें घोर निराशा है। जैसा कि मैंने बताया जिस देश के युवक उपेक्षित होते हैं वह देश कमजोर हो जाता है और वही हालत आज हमारे देश की भी हो गई है।

15 14 hrs.

[SHRI VASANT SATHE in the Chair]

वास्तव में यह जो विधेयक लाया गया है यह बहुत ही साधारण है। इस विधेयक में जो भाग की गई है वह सर्वसाधारण की मांग है और यह आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता भी है। हमारे दल ने भी यह मांग की है कि 18 वर्ष के हर व्यक्ति को मताधिकार दिया जाय। वास्तव में आज यह बिल्कुल सर्वसाधारण मांग है। मेरी समझ में नहीं आता सरकार इसको क्यों नहीं स्वीकार करती है। एक ओर तो सरकार अपने को प्रोग्रेसिव बताती है लेकिन जब मौका आता है तो सरकार युवकों को उपेक्षित ही रखती है।

दूसरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आयु का सम्बन्ध आता है वहाँ पर 18 वर्ष की आयु को उचित समझा गया है जैसे बैंक का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, उन सभी मामलों में 18 वर्ष की आयु सक्ति समझी जाती है तो फिर मताधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु को उचित न समझने का

कोई कारण नहीं जान पड़ता है। कोई बजह नहीं है कि 18 वर्ष के व्यक्तियों को मताधिकार क्यों न दिया जाये। हमको न बचने वा कोई लाजिक नहीं है।

आप जानते हैं कि जब प्रकृति का रहस्य खुल जाता है तो उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। आज तो परिस्थिति ऐसी है कि मनुष्य चांद पर पहुंच गया है। आज हम म्यूनिस्टर एज, आणुविक युग में प्रवेश कर गए हैं। आज प्रकृति और मनुष्य जीवन का जा सम्बंध है वह बदल गया है। आयु की बजह से जो जेनरेशन गैर है वह गैर बिस्कुन कम हो गया है। आज युवक की जो मेच्योरिटी है वह काफी बढ़ चुकी है। दो जेनरेशन के बीच का गैप था वह आज कम हो गया है। इसलिए आज के नवयुवक सोच-समझ कर कोई निर्णय कर सके ऐसी परिस्थिति और वातावरण है। हा गया है केवल इन देश में ही नहीं बल्कि सार समार में आज प्रकृति का जो रहस्य खुला है उसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ा है, जेनरेशन गैर भी कम हो गया है इसलिए यह बिल्कुल जस्टिफाइड है कि 18 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति का मताधिकार दिया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता कि वह इस बिल को स्वीकार करले या फिर सरकार युवकों को आस्वाप्तन दे स्वयं विवेक लायेगी जिसमें 18 वर्ष के आयु के समस्त व्यक्तियों का मत-धिकार दिया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विवेक का समर्थन करता हूँ।

श्री धूल चन्द डांग. (पाली)। हमने परमाणु युग में कदम रखा है। लाख चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन उस में भी सऊन होंगे। यहाँ बैठा हुआ कोई अगर कहें कि 18 साल के युवक का मताधिकार नहीं देना चाहिए तो यह सभ में आने वाली बात नहीं है। ऐसा कहना जमाने को

रफ्तार को न समझना है। युव हमारा आदर्शवादी है, समझदार है, उनको आप अधिकार से क्यों वंचित रखना चाहते हैं। क्यों प्रगति के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। बूढ़े और घिसी पिटी लीक पर चलने वाले लोग ही इनका विरोध करेंगे और कहेंगे कि उन में मेच्योरिटी नहीं आई है। आप कौन हैं उनका मेच्योरिटी सिद्ध करने वाले। हमारे और उनके जमाने में फर्क है, बहुत अंतर है वह आ चुका है। आज जो दसरी से उठता है वह टा. बी भी देखना है रेडियो भी सुनता है। ये ओजे हमारे जमाने में कहाँ थी। हमको युवकों को आगे रखने का मोहना देना चाहिए। आपके उद्देश्य पर वे नहीं चलने रह सकते हैं। वे आदर्शवादी हैं। वे लोग स्कूला और कालेजों में पढ़िथन बनाते हैं, उन में हिस्सा लेते हैं। अध्ययन बनते हैं। मैकेंटी बनते हैं, वे कार्य करना जानते हैं। 18 साल का जब वह हो जाता है तो मेजर कह जाता है ला मे। उसका आप रोकना क्यों चाहते हैं। मे समझता हूँ कि इस मामले पर डिबिजन का कोई मवाल नहीं है। अगर मंत्री महोदय समय चाहते हैं तो उनको विचार करने के लिए समय दे दिया जाय। अगर आप उनको यह अधिकार नहीं देंगे तो इस अधिकार को वे आप से छीन लेंगे। उन में ताकत हानी चाहिए। जिसमें ताकत हाती है वह अथि. रण लेता है। मागने से कमी कमी काई बाज नहा मिलती है। छिनी भी जा सकती है। देने वाले आप और हम कौन हैं। वे अपना अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, सपनों को साकार करना चाहते हैं, देश का नया रूप देना चाहते हैं तो उनको इसका मोहना मिलना चाहिए। घिसी पिटी लीक पर चलने वाले, लाठी का सहारा लेकर चलने वाले उनको इस अधिकार से अधिक देर तक वंचित नहीं रख सकेंगे। यह नई विचारधारा के अनुरूप चीज है। इससे बचो रे मर हरे हो सकते हैं। उम्र में इसका सम्बन्ध नहीं है। आपको इन पर भरोसा रखना चाहिए। डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुए हैं वा. जबान है। इनको आपसि नहीं होनी चाहिये इस पर। अगर ला मिनिस्टर

[श्री. मू. 1 च. द. 3: गा]

कहेंगे कि हम महान्मूर्तिपूर्वक विचार करेंगे और जल्दी निर्णय करेंगे तो ऐसा करने का उनकी मौल्य दिया जाना चाहिए। उनकी मना नहीं करना चाहिए। हजारों लाखों युवक इनका क्या अर्थ निकालेंगे अगर आपने मना कर दिया, इस बारे में आपका मन भाग होना चाहिए।

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Mr. Chairman, Sir, I am sorry, I have to sound an opposite point of view. I feel that the founding fathers, when they made the Constitution of our country, had given this matter a great deal of thought. Although, of course, the time has changed and we have produced some atom bombs, the question today is: do we want that our children, who are still in the colleges, enter into this type of politics or do we want them to conduct their studies carefully, thereby making themselves more equipped, better equipped, more responsible citizens, before they cast their votes to determine what type of government and what type of democracy they want? Personally, I am opposed to any change at this stage. I feel that the age of 21 is the correct age and people at 21 are mature enough to decide as to what type of country and government they should have.

I feel that many of us sometimes are carried away by western ideas and perhaps England and some other countries have gone to the voting age of 18. But those countries have also gone very far towards a permissive society. Many of us who have visited those countries lately would not like our country go that way.

I am not by any means belittling the fact that the youth our country is capable of taking a decision on their destinies or the destinies of the country. But in my mind I am still quite clear that the time has not come when the age should be lowered to 18. The question before all of us in this House is: do we want a mature democracy to emerge, particularly on account of the chaotic con-

ditions in which we have landed us, or do we want to increase the voting strength of the radical section of the community? There is no doubt in our mind that we have all been once 18 years old. When we were 18 years, our blood was hot and we thought differently. But, as we became mature, we thought a little more dispassionately. Therefore, I do feel that whatever the founding fathers have done, they have done after giving a great deal of thought, and we should not amend the Constitution.

श्री. धनशाह प्रधान (शहडोल) : मैं डा. पांडेय द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ। जब राजस्व और अन्य वित्तीय मामलों में न्यायालय के समक्ष 18 वर्ष के युवक को वयस्क समझा जाता है तो फिर इस उम्र के युवकों को देश के आम चुनाव में वोट का अधिकार न देना तर्क संगत नहीं है। 18 वर्ष के युवक युवतियों परिपक्व बुद्धि वाले होते हैं। उन में समझ विवेक और हानि लाभ को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धि होती है। इस उम्र के युवकों को मताधिकार से वंचित रखना देश के हित में नहीं है।

आज युवकों में रोष है। देश को वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से देश का युवक वर्ग संतुष्ट नहीं है। उन में क्रोध है। वह चाहता है कि देश की शासन व्यवस्था और नीति निर्धारण में उसे भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिये। आज के कुछ और अमनुष्ट युवकों को शान्त करने का एक मात्र उपाय यही है कि उसका सहयोग प्राप्त किया जाए। वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आज युवक वर्ग बेचैन है। 18 वर्ष के युवक मौलिक विचारों से प्रेरित हैं। मुझे विश्वास है कि देश को इस युवा शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने के लिए हमें डा. पांडेय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये।

अन्य में मैं उन युवक युवतियों को
यही कहूँगा :—

मायम न हो मेरे हम खयाल दोस्त
दिन दूर नहीं जब इनका फिर आया
कान्ति उठेगी इस देश के जन जन में
सूरज निकलेगा अंधकार हट जाएगा ।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) . जब
कभी कोई प्राबल्य आता है तो डा. कर्णीमिह
और हमारे खयाल तब आपस में कभी । नहीं
जाए, यानी प्राबल्य बराबर चेजर और नौ
चेजर का रत्ता है। मैं डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय
। तो उनकी कबाद देता हूँ कि एक सही
और दुस्त बिल वह इस हाउस में लाए है ।
जब हम चाहते हैं कि नौ वानो को आज की
प्राबल्य में इनका बल करे, तो जरूरत इस
बान की है कि इस नगदीनी की तरफ हमें
कदम बढ़ाना चाहिए । मैं पूरे दिल से इस
बिल के हक में हूँ ।

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem) .
Mr Chairman, Sir, I extend my
whole-hearted support to Dr. Lakshmi-
naraayan Pandey's Constitutional
Amendment Bill, seeking to amend
Article 19 and Article 326 of the
Constitution for the purpose of re-
ducing the voting age to 18. At the
very outset, I would say that this is
a Bill which should be welcomed by
all the Members of the House.

After the great split in 1969 in the
Congress Party when the old bandi-
coots were thrown out, the ruling
Congress Party took certain radical
and progressive steps like the aboli-
tion of privy purses, nationalisation
of 14 major commercial banks, natio-
nalisation of coal-mines, nationalisa-
tion of General Insurance Companies
etc. which were welcomed by the
youth of the country. Sir, the ruling
Congress Party got a new life in the
two problem States of West Bengal
and Kerala with the active support of
the youth of these two States. But

the same youth today are greatly
disillusioned because the Congress
Party has not brought down the vot-
ing age to 18. Their disillusionment
has been rejected in the recently
held Delhi University Students Elec-
tions in which the Akil Bharatiya
Vidyarthi Parishad scored a signifi-
cant victory over the students' orga-
nisation supported by the ruling party
After this debacle in the University
Students Elections, the Government
may now be inclined to give the
voting right to 18-year olds.

It is paradoxical that, while the
Evidence Act, the Criminal Proce-
dure Code, the Hindu Marriages Act
etc. recognise the 18-year olds, the
People's Representation Act does not
recognise the right of the 18-year
olds to vote. The denial of the right
to vote for the 18-year olds is fur-
ther aggravated by the fact that all
the Vice-Chancellors of Universities
in the country have unanimously sug-
gested that the voting age should be
reduced to 18. The hon. Minister of
Law may not agree to this Bill of
Dr Pandey who belongs to Jan
Sangh, an Opposition Party. But I
hope that he will at least respect the
views of a senior Congress Member,
who was former Education Minister
and former Vice-Chancellor of Delhi
University, Shri V. K. R. V. Rao.
Shri Rao, in his speech on this Bill,
has given cogent reasons for reduc-
ing the voting age to 18 and he has
extended his full support to this Bill.
I expect that the hon. Law Minister
may agree to this proposition in
principle and later on bring a Bill
to amend the Constitution for achiev-
ing this objective.

In the State of Gujarat there was
widespread students' unrest. The
students in Bihar are agitating for
so many months now. It is feared that
the students' unrest might spread to
other States also. It is time that the
Government formulate a legislative
proposal to channelise the ebbing
energies of the student community in
the country into constructive lines.

*The Original speech was delivered in Tamil.

[Shri E. R. Krishnan]

As the students are the future guardians of the country, I feel strongly that the Government should not look at this issue from the ruling party's political interests. While those who are on the throes of death have got the right to vote, it is surprising that those who are on the threshold of life should be denied this right. Sir, I am of the view that, once the 18-year olds are given the right to vote, the student community may start behaving in a responsible manner.

Sir, we are not tired of referring to the parliamentary procedures prevalent in the United Kingdom. In the United Kingdom, the 18-year olds have been given the right to vote. I fail to understand why the Government are hesitant to emulate this example from the United Kingdom. Our Government have entered into a long-term friendship treaty with the Soviet Russia. Our Government frequently fall upon the experience of Soviet Russia in implementing socialist programmes. When the voting age has been reduced to 18 in Soviet Russia, I wonder why our Government have not yet given the voting right to the youth of our country.

Sir, according to 1971 Census the student population in the age group of 18 is roughly about 10 crores. This is about 20 per cent of our country's population. To deny to 20 per cent of the country's population the right to vote is definitely a slur on Indian democracy.

From whatever angle the Government may look at this question. I am sure that they will realise the need for reducing the voting age to 18, bearing in mind the arguments I have advanced. I hope that the hon. Law Ministry will soon come forward before this House with legislative proposals to make the cherished dream of the youth of country a reality.

With these words, I conclude.

श्री नरसिंह नारायण बांड (गोरखपुर) :

सभापति महोदय, डा० पांडेय ने जो विधेयक पेश किया है, उस के दो पहलू हैं। एक तो उन का कहना यह है कि वोटिंग एज को फंडामेंटल राइट मान लिया जाये और दूसरे, उन का कहना यह है कि अनुच्छेद 326 में 21 साल की जगह पर 18 साल रख दिया जाये।

पहली बात के बारे में मेरा निवेदन यह है कि फंडामेंटल राइट को एज की लिमिट से न बाधा जाये। आप को याद होना कि जब फंडामेंटल राइट्स का सवाल संविधान निर्मात्री सभा में उपस्थित हुआ था, तो श्री के० एम० मुन्शी ने यह प्रस्ताव रखा था कि वोटिंग एज को फंडामेंटल राइट मान लिया जाये। इस के बारे में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और इस सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण हुआ, जिस के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने 23 अप्रैल, 1947 के अपने पत्र के अन्त में लिखा था :

"While agreeing in principle with the clauses, we recommend that instead of being included in the list of Fundamental Rights, it should find a place in some other Part of the Constitution."

और इसी लिए इसे आर्टिकल 326 में रखा गया। इस लिए मैं डा० पांडेय से कहूँगा कि इस को फंडामेंटल राइट्स में न रखना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि इस पर कांस्टीट्यूट एसेम्बली में बहुत मन्थन हो चुका है।

जहाँ तक वोटिंग एज का सम्बन्ध है एक ऐसी बात चल रही है जिस में एमा लगता है कि सारे हिन्दुस्तान में एजूकेटिड यूथ ही यथ है और गांवों में जो पान-एजूकेटिड यूथ रहते हैं वे यूथ नहीं हैं। अगर 18 साल की वोटिंग एज मान ली जाये तो हमारे इन्फ्रान्फोर्स्ड रोल में 5 करोड़ मतदाता बढ़ेंगे। उस में केवल 10 परसेंट जो बनकुलर मिडल स्कूल तक पहुँचे हैं उससे सिर्फ बही आयेंगे। इस सदन में इस तरह की बात कही गयी है कि सारे एजूकेटिड

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

लोग 18 साल की उम्र में आ जायेंगे और गावों में रहने वाले उस से अलग रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इस सदन में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए।

सरकार के सामने इलैक्शन कमीशन की प्र.नी रीकमेडेशन है। उस में कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनकी वजह से सरकार और इलैक्शन कमीशन के सामने कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन सरकार का, और हम और बैठने वालों का, यह कभी मन्तव्य नहीं हो सकता है कि बोटिंग एज को 18 साल न किया जाये। यह सही है कि हमारी डेमोक्रेसी अभी इतनी मेच्युर नहीं हुई है और हम अभी मेच्युरिटी की एज में नहीं आये हैं जैसे कि विलायत के लोग आ गये हैं। लेकिन यह भी सही है कि बोटिंग एज को 18 साल करने से कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जायेगी, जो 21 साल करने से पैदा नहीं हुई। सरकार को भी इस पर सहानुभूति और विचार करना चाहिये और आज 18 साल की उम्र को मानने में कोई उन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह हो सकता है कि आज इस बिल को न स्वीकार किया जाय। इस बिल में बहुत सी ऐम्बेड्डिंग हो सकती है। जैसा मैं ने कहा कि अभी इस का फाइनेल राइट में रखने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा और मैं समझता हूँ कि पांडेय जी भी मुझसे इस में सहमत होंगे कि इस उम्र में इन्फ्यूड न किया जाय। यह बात हो सकती है कि आर्टिकल 326 में हो इस को 21 की जगह 18 करके रख दिया जाय। ये टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं लेकिन इन के फार रीचिंग कासीक्वेस हो सकते हैं। अगर इधर बैठने वाले कोई ऐसा नहीं है कि इस बात को स्वीकार न करते हो। आज की परिस्थिति में यह बात सही है कि युवक मेन-स्ट्रीप में आना चाहते हैं, पार्लियामेण्टी सिस्टम आफ डेमोक्रेसी से आग लेना चाहते हैं और सारी पार्टियों के लोगो ने युक्स को अपने अपने स्तर पर इस्तेमाल किया

है। हमारे देश में पार्टी का सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और पार्टी सिस्टम में अगर जिस यूथ के लिए हम चाहते हैं कि वे परिपक्व हों और भविष्य के निर्माणकर्ता बनें तो आज कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि इधर या उधर के बैठने वालों में एक भी इस को मानता हो इस को लाने में देरी हो सकती है लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इधर या उधर बैठने वालों के विचारों में और सोचने समझने के तरीकों में इस प्रश्न के ऊपर दो राय नहीं हो सकती कि बोटिंग एज 18 साल की हो।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जब भी उन के लिए संभव हो अगर आज नहीं तो कल या जब भी हो लेकिन बोटिंग एज को 18 साल रखने के मिलसिले में वह कदम उठाए और इन में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री राम रतन शर्मा (बाँदा) : मना-पति जा, अभी मैंने डा० १णीं सिंह का बात सुनी और अपने मामले बैठे हुए बकत की बात भी सुनी। डा० १णीं सिंह का कहने का मतलब यह था कि 18 साल के युवा अपरिपक्व होते हैं। हम ने जा कास्टाट्यूशन बनाया है जिस की यहाँ शपथ लेते हैं उसके आर्टिकल 326 में सब से पहले हमने एडल्ट फ्रवाइज को माना है। शब्द एडल्ट ध्यान देने योग्य है। इसमें उन्होंने 21 साल अवश्य रखा है। 1947 में ऐसा परस्थिति हो सकती है, लेकिन 1947 से 1974 तक बिना पाना निकल गया और अपरिपक्वता की बात कह कर 18 साल के युवक को जो 1947 की जनरेशन के स्थान पर सब मामला में बहुत ज्यादा परिपक्व है, वोट देने का अधिकार न देना ठीक नहीं होगा। मैं उस को पटना चाहूँगा

The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage, that is to say, every person who is a

citizen of India and who is not less than 21 years of age.

तो सब से पहले एडल्ट की बात की गई। एडल्ट की बात केवल यहीं पर नहीं मानी है, हिन्दू मैरिज ऐक्ट के लिए मानी है, इंडियन मजोरिटी ऐक्ट में मानी है, प्रापर्टी लेने और देने के मामले में, कांस्ट्रक्ट करने और कांस्ट्रक्ट तोड़ने के मामले में सब में एडल्ट को ही रखा है और उस में सब में 18 साल की आयु है। तो और तमाम कामों के लिए 18 साल की उम्र में लड़का बालिग हो जाता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार 21 साल में रखा जायगा ?

जहां तक परिपक्वता और अपरिपक्वता की बात है तो 18 साल की उम्र चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, वे परिपक्व बुद्धि के हो सकते हैं और 80 साल में भी अपरिपक्व बुद्धि के हो सकते हैं। मैं अपने बहुत से माननीय मंत्रियों के नाम नहीं लेना चाहता जो 66 और 67 साल के हैं लेकिन अपरिपक्व हैं, रोजाना उनके निर्णय बदलते हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसे बदलना पड़ता है, प्रैस में स्टेटमेंट देना पड़ता है। यह अपरिपक्वता का परिचय नहीं है, तो क्या है ?

श्री बी० आर० शुक्ल (यहगडच) : अपोजीशन की तरफ से रोज होता है।

श्री राम रतन शर्मा : जी नहीं, शुक्ला जी ने मेरी बात को ध्यान में रखा नहीं। अब यहां बैठने वाले लोग—

सभापति महोदय : अपने बोलने में, अपरिपक्वता का परिचय कम से कम न दें।

श्री राम रतन शर्मा : मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि इधर बैठने वाले अपरिपक्व हैं और उधर बैठने वाले अपरिपक्व हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि 18 साल का आदमी परिपक्व हो सकता है। और 80 साल का आदमी भी अपरिपक्व हो सकता है। इसलिए मेरे लायक

दोस्त डा० कर्णी सिंह जो कह रहे थे कि 18 साल में वे अपरिपक्व होते हैं, यह बात सही नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज हर बात में वे कितने एडवांस्ड हो गए हैं। कितनी सही बात है ? चन्द्रमा पर पहुंच गए, विज्ञान इतना बढ़ गया, कला इतनी बढ़ गई। हर एक चीज में वे परिपक्व होते जा रहे हैं। आज जो 18 साल का युवक होता है उसका मानसिक विकास ज्यादा हुआ होता है।

इस प्रमेंडमेंट के द्वारा डा० पांडेय ने यह नहीं कहा कि वे असम्बलीज में या संसद में जाने लगेंगे। उस के लिए अलग प्रावधान है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : जब वार-टीट्यूशन में प्राविजन आ जायगा तो उस के लिए भी ला सकते हैं कि विधान सभा और पार्लियामेंट में भी वे आ सकते हैं।

श्री राम रतन शर्मा : यही पर माननीय सदस्य मूलभूत गलती कर रहे हैं। आज भी कांस्टीट्यूशन में वोटिंग एज 21 मान है लेकिन एलेक्शन में खड़े होने के लिए 25 मान है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय : कल रेजिस्ट्रेशन आफ पीपुल्स एक्ट में भी उसी के तहत संशोधन कर सकते हैं, उस को चेंज कर सकते हैं।

श्री राम रतन शर्मा : अभी उस की बात हम नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : वह तो जो लाजिकल स्टेप होगा वह लिया जायगा। उस में कौन सी बड़ी बात है ?

श्री राम रतन शर्मा : मेरा प्वाइंट यह है कि आज हम केवल वोट देने की उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। आज सम्पूर्ण देश का नव-युवक जब 18 वर्ष का हो जाता है तो वह गंभीरता से हर बात को चेता है, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में हर बात को देखता है, अपने देश की स्थिति को समझता है। उस स्थिति

[श्री राम रतन शर्मा]

को सन्तुष्ट कर किस तरह के धादमी वह विधान सभाओं में या संसद में भेजे, किस तरह के धादमी पंचायतों में भेजे, कैसे उनका निर्वाचन करे, इसका निर्णय करता है। तो उस को उस में हक दीजिए, उसकी उस में एक यूनिट बनाइए ताकि अच्छे और बुरे का निर्णय जल्दी हो सके, ताकि वह जो पहले से बिग शाक्स बैठें हुए हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा मैं वैसा नहीं कहना चाहता, क्यों वि-उम्र के लिए मेरे अदर बहुत आदर है जो बूढ़ हैं, क्यों बूढ़ है, उन्होंने अपने सामने बहुत जमाना देखा है, फीडम के लिए फाइट किया है लेकिन इसी बात पर कि फीडम के लिए उन्होंने बहुत फाइट किया है, छोटे लोगों का अधिकार मत मारिए। अच्छी तरह से इस बात को फिर से सोचिए, समझिए और 18 साल के लिए समर्पण दीजिए, इस बिल को पास कीजिए। अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि इस के लिए बहुसंख्यक मत एक अच्छा बिल लाए तो उस बात को सामने कहे ताकि हम लोग उसे सोचें समझें।

श्री बी० आर० शर्मा समाज जी, बहुत सम्मान के साथ मैं श्री पांडेय जी की इस विषयक का विरोध करता हूँ। यह ठीक है कि युवक में आदर्श और उत्साह है। उसमें इस बात की तमन्ना है कि समाज की कुरीतियों को, समाज के असंतुष्टि का चेहरे को बदल दिया जाय और यह तमन्नाएं केवल युवक का ही विषय अधिकार नहीं है, जो लोग बूढ़ हैं, क्यों बूढ़ हैं। समाज की समस्याओं के ऊपर सतत मनन और चिन्तन कर रहे हैं वे भी समाज को बदलने के लिए उतने ही उद्यत और उत्सुक हैं जितना कि एक नौजवान है।

एक माननीय सदस्य उनका खून ठण्डा है।

श्री बी० आर० शर्मा . यह जरूर ठण्डा है। अगर युवक की परिपक्वता केवल इसी पर आधारित नहीं होती है कि उस में विज्ञान की अच्छी किताबें पढ़ी हैं, उतने अच्छा से अच्छा

माहित्य पढ़ा है, लेकिन ममार का अनुभव भी उनके आदर्शों को वास्तविकता का स्वरूप प्रदान करता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं जो दिन भर किताबी शिक्षा देते हैं, लेने और रिसर्च करते हैं, वे जब जीवन के प्राण में उतरते हैं तो उनको कोई दूसरी ही दुनिया बदलती हुई नजर आती है। आप देखें, इसी सदन के अन्दर बहुत बड़े बड़े आइडल पेश किये जाते हैं जो अर्थ शास्त्रियों की खोज पर आधारित होते हैं। उनको कहा जाता है कि ये सब वास्तविकता में परे। मेरा विरोध इस बात पर है कि युवक—जहाँ उस में बुद्धि है, जहाँ उस में आदर्श है, जहाँ उस में समाज को बदलने के लिये, नया स्वरूप देने के लिये उत्साह और उम्र है इनके साथ साथ उसमें आवेश भी है, उसमें बड़ी भारी उद्दग है, उसके प्रवाह में वह कभी कभी ऐसा बहता है जैसे एक भेड़ के पीछे हजारों भेड़ें बुद्धि को निलाजिल देकर भागती हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन के अन्दर जो आदर होना चाहिये, उसके प्रति वे उदासीन हैं। लेकिन आज आप देखें—विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। आज आन्दोलन इस बात के लिये होता है कि बगैर परीक्षा दिये हर धादमी को पास कर दिया जाय 90 फीसदी लड़के यही चाहते हैं कि बगैर इम्तिहान दिये उनको डिग्री मिल जाय। ये लड़के कहा पढ़ते हैं—कोई एम० ए० में पढ़ता है, कोई बी० ए० में पढ़ता है। नकल करने की प्रवृत्ति को देखें—बाकू, छुग, देसी पिस्तौल लिये हुए परीक्षा स्थल में जाते हैं और इन्विजिलेटर को कहते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे—यह सब बात आप जानते हैं। लेकिन दर्शक-दीर्घा को प्रभावित करने के लिये, निर्वाचन में युवकों के उत्साह का शोषण करने के लिये आप इस बिल को यहाँ लाये हैं। इस में आप युवकों का कल्याण करने नहीं जा रहे हैं। युवक हमारे और आप के बाल-बच्चे हैं, हम सब चाहते हैं कि वे अच्छी से अच्छी शिक्षा लें, योग्य बनें, लेकिन क्षमा करें—यह झण्ड की मनोबति .

श्री पी० जी० माडलकर (अहमदाबाद)
आप हमारी नीयत पर शक क्यों कर रहे हैं ?

श्री बी० प्रार० शुक्ल गुजरात को ले लीजिये, गुजरात में क्या हुआ ? वहाँ एक नव निर्माण समिति बनाई गई, वहाँ की विधान सभा भंग हो गई। उस आन्दोलन का सक्रामक प्रभाव यह पड़ा कि दूसरी जगह भी नव निर्माण समिति बन गई। याद रखिये किसी दिन अमरावती को नाखून मिलेगा, तो वह खुजली आप को भी खुजलानी पड़ेगी। देश में अमर गलत प्रथाएँ, गलत परम्पराएँ, गलत उदाहरण उपस्थित किये जायेंगे तो उनका परिणाम सारे देश को भुगतना पड़ेगा, इस लिये हम को और आप को एक मनुष्य बुद्धि से, सुनियोजित विचारधारा से सोचना चाहिये।

आप कहते हैं कि अणु बम बन गया, नई नई बात हो रही है, तो इन को पीछे क्यों रखा जाय आप अणु बम का उदाहरण क्यों देते हैं, हमारे देश में श्री शुक्र देवजी महाराज ने 7 वर्ष की अवस्था में 18 पुराणों पर, अधिकार कर लिया था। हमारे देश में अकबर बावशाह ने 12 वर्षों की अवस्था में सेनापतित्व का भार सम्भाल लिया था। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि सफेद बाल होने से बुद्धि का विकास होता है या काले बाल होने से, या सफेद बालों को रक लेने से बुद्धि रुक जाती है। मैं मनोवृत्ति और भावना को लक्ष्य कर रहा हूँ। युवक—जहाँ उस से बड़े बड़ गुण हैं, वहाँ वह भावना से इतना प्रीतप्रीत क्यों होता कि जब वह उस के प्रवाह में बहने लगता है तो उस का संतुलन टूट जाता है, उसका समय खो जाता है और वह निष्पक्ष रूप से समाज और देश की समस्याओं के ऊपर विचार नहीं कर पाता है। वही लड़के जब न्याय नहीं मिलता है और कालिजी में पड़ रहे होते हैं तो जा कर यूनीवर्सिटी का रिकार्ड जलाते हैं। लेकिन वही लड़के जब घर में अपना कारोबार सम्भालते हैं और कोई उन को एक बकरी उठाने से तो उसे तलवार से मारने के लिये तैयार हो जाते हैं। इस लिये जीवन के अनुभव का बड़ा महत्व है,

उस अनुभव को उसे इन तीन मामलों में प्राप्त करने दीजिये, तब उस को मताधिकार दीजिये इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये, केवल इधर-उधर की बातों और समय की भावनाओं के आवेश में आकर न बह जाइये। इस पर पहले भी काफी विचार हो चुका है और अनेकों बार उत्तर भी दिये जा चुके हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : समा-पति जी, सब से पहले तो यहाँ पर जो उम्र की बात उठी है, उनके लिये मैं प्रो० बी० के० प्रार० बी० राव को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों जब उन का भावण हुआ था, डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी के इस विधेयक का समर्थन किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रो० राव से कम उमर के हमारे विधि मंत्री जी जो सामने बैठे हुए हैं, उनको प्रो० राव से प्रेरणा मिलेगी।

समापति जी, आज से 20 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, तब से हम लोग इस माग को उठा रहे हैं —

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय : मिश्र जी, मंत्री जी की उमर से प्रो० राव की उमर 10 साल कम है।

श्री जनेश्वर मिश्र तब तो मैं कहूँगा कि इन कि जगह दूसरे मिनिस्टर जवाब देने आये, तब कोई ठीक रास्ता निबल आयेगा।

मैं कह रहा था कि 20 साल पहले हम ने इस माग को उठाया था। मुझे याद है उस समय सब लोग कहते थे कि यह बचकाना माग है। लेकिन कुछ यह है कि 18 साल की उमर शादी के लिये ठीक मानी जाती है, प्लटन में भरती होने के लिये ठीक है, देश के लिये मर्दन कटाने के लिये 18 साल की उमर ठीक है, लेकिन देश के लिये कानून बनाने के लिये 18 साल की उमर नाकफी कहीं बस्ती है।

जब देश का सविधान बन रहा था, उस समय ज्यादातर नकलबी सविधान बन रहा था, बहू गोरे मुल्को के सविधानों की, कोमा, फुलस्टाप, के साथ नकल की जा रही थी, उस समय हमारे सविधान निर्माताओं के ध्यान में यह बात नहीं गई कि जिन मुल्को के सविधानों की हम नकल कर रहे थे, व ज्यादातर ठण्डे मुल्क थे और ठण्डे मुल्कों में भ्रादमियों के ज्ञान-तन्तु और शरीर का विकास दोनों देर से होता है, जबकि गरम मुल्को में छोटे बच्चों के चेहरे पर मूछे आ जाया करता है, जबानी के निशान आ जाया करते हैं और उनकी बुद्धि का और शरीर का विकास जल्दी होता है। चूँकि उन मुल्को में आयु 21 साल थी, इस लिये हमने भी 21 साल मान लिया, हालांकि अब तो उन मुल्को में भी 18 साल को मान लिया है। अब हम इस लिये यह भाग नहीं कर रहे हैं कि हम उन की नकल करें, बल्कि सच्चाई यह है कि 24-25 साल की उम्र के बाद यह तो ठीक है कि उस को तजुर्बा हो जाता है, लेकिन वह समाज की, परिवार की जिम्मेदारियों में इतना फस जाता है कि उस के बचपन के समय में उस के मन में जो भ्रादर्श हुआ करते थे—समाज बनाव के, दुनिया बनाने के, घर बनाने के, व भ्रादर्श टूट जाया करने है—यह हकीकत है।

इस लिये, सभापति महोदय, यह जरूरी है कि 18 साल की उम्र को मान लिया जाय। यह सोच कर नहीं कि जनसभ के किसी मेम्बर ने इस विधेयक को यहाँ पर रखा है या यह विरोध पक्ष द्वारा रखा गया है, बल्कि राजनीतिक स्तर से अपर उठ कर इस को स्वीकार करना चाहिये। चलिए, आप इस को आज न माने, दो-चार महीने बाद इस को ले आये, लेकिन इस को स्वीकार करना चाहिये। यह आज के नौजवान की भाग है और दुनिया में जहाँ बोट के जरिये हुकूमत चलती है, सब जगहों पर 18 साल की उम्र को माना जाने लग्य है।

आज यहाँ यह कहा जा रहा है कि 18 साल के भ्रादमी की बुद्धि अधकचरा रहती है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि जिस की बुद्धि 18 साल में अधकचरा रहती है, उस की बुद्धि 58 और 60 साल में भी अधकचरा रहती है। अभी यहाँ कहा गया कि 18 साल के लड़के जब यूनीवर्सिटी और कालिज की यूनिशन का चुनाव करने जाते हैं या परीक्षा देने जाते हैं तो अपने साथ छुरे लेकर जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामेंट के चुनाव में छुरे और पिस्तौल नहीं चलते हैं। अगर पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव से छुरे और पिस्तौल चल सकते हैं तो क्या पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव रूकवा देना चाहिये? अगर 21 साल का बोट देने वाला छुरा, पिस्तौल, बम रख सकता है तो हमारे लड़के अगर छुरा, पिस्तौल लेकर यूनिशन के चुनाव लड़ते हैं या परीक्षा देने जाते हैं, तो इस के लिये आप उन को दोब न दीजिये, उन को ये सब चीज आप से मिली है, यह बुद्धि आप ने उन को दी है। हमारे मुल्क की सब से बड़ी बदनसीबी यह है कि जो जहाँ बैठ जाता है, उस कुर्सी को खोना नहीं चाहता। यह सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, कल्प के मामले में, दशन के मामले में, जो जहाँ हावी हो जाता है, बैठ जाता है,

16 hrs.

सारी दुनिया को समझ देने लगते हैं कि तुम इसमें मत आना। लड़को से कहा गया राजनीति से दूर रहो तुम्हारा काम पढ़ना है। मास्टर से कहा गया तुम्हारा काम पढ़ना है। तुम राजनीति से दूर रहो। किसान से कहा गया तुम्हारा काम हल चलायना है तुम राजनीति से दूर रहो। मजदूर से कहा गया तुम्हारा काम कारबाया चलायना है पुर्जा-चलायना है इसलिए तुम भी राजनीति से दूर रहो। यह एक प्रवृत्ति है जो बहुत खतरनाक है। फिर कौन राजनीति करेगा? बोले से एम० पी० और एम० एल० ए० बोले से

लड़ने वाले और उनको चुनने वाले लोग ? मैं इशारा करमाचाहता हूँ हिन्दुस्तान की पुरानी तहजोब के बारे में पुराने जमाने में हमारे यहां कलायें आस्मान पर थीं और उस समय हमारे भगवान भी नाचा करते थे, भगवान के बड़े बड़े भक्त नाचा करते थे। बड़ी अच्छी थी कला नृत्य कला, प्रदर्शन — साहित्य सभी कुछ दुनिया के गोरे मुल्क उस वक्त पिछड़े हुये माने जाते थे, जंगली माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वह कला थोड़े से लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई, बाकी लोग उससे अलग हो गए। कोई भी बड़िया चीज जब एक जगह सिमट कर रह जाती है तो उसमें सड़ांध आ जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। पहले जो कला होती थी जैसे नृत्य कला है तो शरीर के जितने मोड़ हैं उनको जितना बड़िया आप मोड़ लीजिये उतनी ही बड़िया वह कला मानी जायेगी नृत्य में। जब वही कला विकृत हो जायेगी तो केवल मुह भटकाने और आँख नचाने तक ही सीमित हो जायेगी। आज यही हुआ कि उस कला, जिसमें कभी हमारे शंकर नाचा करते थे जिनकी लोग पूजा करते हैं, उसी कला को कोई माहिर अगर सड़क पर जाता है तो बड़े से बड़े रईस से लेकर खोमचे वाले तक कहते हैं कि कोई नाचने वाला जा रहा है यानी गन्दा आदमी जा रहा है। तो जब कला विकृत हो गई तो समाज ने भी उससे नफरत कर लिया। दुनिया के वह मुल्क जो हमसे पिछड़े हुये थे वहां भी नाच होता है और हमारे यहां भी नाच होता है जब हमारे यहां नाच होगा और जब नाचने वाला स्ट्रेज पर आवेगा तो बाकी लोग चुपचाप बैठते रहेंगे। हद से हद जब पूरे जोर पर नाच जायेगा तों सिर हिला दिया करेंगे। दुनिया के और मुल्कों में जो नृत्य कला में हमसे पीछे थे बाकी दुनर में हमसे पीछे थे जब वहां पर नाच पूरे जोर पर होता है तो जितने भी लोग देखते रहते हैं वह सभी खड़े होकर स्वयं नाचने लगते हैं। तो यह है कला की हिस्सेदारी जिसमें सार्वजनिक हिस्सेदारी

हीती है। ऐसी स्थिति में वहां की कला में बदल नहीं आवेगी, विकृति नहीं आवेगी।

ठीक इसी तरह से सन 1947 के पहले खट्टर का कुर्ता और धोती पहन कर अगर कोई आदमी सड़क पर जाता था तो ग्राम आदमी अग्रेज के डर के मारे भले ही उससे बात न करे लेकिन सड़क पर जाते हुये आदमी की तरफ इज्जत से सिर झुका दिया करता था। लेकिन आज वही आदमी खट्टर का कुर्ता धोती और टीपी पहन कर सड़क पर चला जाये तो ग्राम आदमी चाहे बड़े से बड़ा रईस हो या खोमचे वाला हो वह डर के मारे उसके सामने भले ही गिड़गिड़ा कर बात कर ले लेकिन अपने मन में बोलता है कि कि जरूर कोई चार सौ बीस करने वाला राजनेता जा रहा है। यह सभी लोगों के बारे में राय बन गई है लेकिन इसकी क्या वजह है ? आपने इन 27 सालों में सभी से कह दिया कि तुम राजनीति से अलग हो जाओ। इस तरह थोड़े से हाथों में सिकुड़ कर चली गई वह राजनीति विवृण हो गई इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए अगर राजनीति की सफाई करनी है तो जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो। और तब मैं कहूंगा कि 18 से 21 साल की उम्र के बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग हैं उनकी आप राजनीति में हिस्सेदारी दीजिये।

इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें हैं। नयी उम्मा जो आदमी होता है उसकी कल्पनायें अलग हुआ करती हैं, उसके सपने अलग हुआ करते हैं समाज बनाने के बारे में। मैं समझता हूँ इन कल्पनाओं और सपनों को हम अगर साकार करना चाहते हैं, तो पुरानी उम्र के लोगों को थोड़ा उदार होना चाहिए, उनके मन में कुंठा नहीं रहनी चाहिए। सारी दुनिया में उम्र रोग लगता है लेकिन हमारे यहां कुछ ज्यादा लगता है। लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि नयी उम्र के लोग राजनीति में आने लगे। आप उनकी

अपनी मर्जी से लाइये। जब बहुत ज्यादा लोग बात कहने लगते हैं तो हमारे देश के आदमी के मन में आता है कि नयी उम्र के लोग खुद राजनीति में आये, राजनीति में केवल कुर्सी नहीं है, राजनीति केवल चुनाव नहीं है, राजनीति केवल कुर्सी पर बैठना नहीं है बल्कि राजनीति समाज की तबीयत, समाज की तहजीब और समाज की तरक्की के लिए एक सपना भी है और राजनीति एक धर्म भी है। मैं कहूंगा इस बड़िया चीज के लिए नौजवानों को आने दो। आप नौजवानों को लाते हैं, लाये भी थे। अभी आपकी कोई रैंली हुई थी, लगता था कोई दरबार लगा हुआ है, दिल्ली दरबार जैसा। उसमें नौजवान आये थे और उसके आने किस्म भी सुने है। बाकी नौजवान लायेगे तो उनके किस्म भी सुनने का मिलेगा। एक तरफ आपका दिल्ली दरबार 9 अगस्त को यहाँ लगा और दूसरी तरफ उन्हीं तारीखों में भागलपुर में और दूसरी जगहों पर नौजवानों पर लाठिया चलती रही, गोлия चलती रही जेल के भीतर। यह दोनों किस्से अपनी जगह पर हैं। यह दो विपरीत घाए हैं। आज देश हलचल के माहौल में गुजर रहा है। सन 1947 के पहले गांधी जी की रहनुमारी में नवो उम्र के लोगोंने सपना देखा था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद बड़िया किस्म की उनको तारीफ दी जायेगी, बड़िया किस्म की रोजी दी जायेगी लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस मुल्क की गद्दी पर बैठे हुये लोगोंने कहा कि अभी पाकिस्तान का बटवारा हुआ है थोड़े दिन सत्र से काम लो। उसके बाद 27 साल हो गए सत्र से काम लेते लेते आज नौजवान सड़क पर निकल कर आ गया है। आप कहते हैं नक्सलाइट हो गया है, आप कहते हैं जयप्रकाश नारायणजी ने उसको गुमराह कर दिया है। लेकिन यह कुछ नहीं है, आपने उसको गुमराह कर दिया है। वह लड़का अगर छुरा लेकर इम्तहान में जाता है, वह लड़का अगर इम्तहान के हाल में आग लगा देता है तो मैं आपसे कहूंगा कि गांधी जी की

रहनुमारी में आपने 1947 के पहले नौजवानों से कहा था कि नौजवानों देश की राजनीति में हिस्सा लो और अंग्रेजों को भगाओ अंग्रेज जायेगा तो तुम्हारी पढ़ाई दुस्त होगी लेकिन उसकी पढ़ाई दुस्त नहीं हुई, उसको कोई काम नहीं मिला और देश की गद्दी में उसको हिस्सा नहीं मिला। 27 साल तक आप उनके मनो में आग लगते रहे क्या आप गुनहगार नहीं हैं? उसने अगर इम्तहान के मामूली से पर्चे में आग लगादी तो उसका बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं कहूंगा अगर आप मौजूदा हालात का मुकाबला करता चाहते हैं तो गाली से नहीं, लाठी से नहीं, 9 अगस्त की रैंली से नहीं बल्कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दीजिये, राज-काज में हिस्सा दीजिये, यूनिवर्सिटी और कालेज में हिस्सेदारी दीजिये और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दीजिये। जैसा मैंने पहले बताया जब आम हिस्सेदारी हुआ करती है, चाहे वह राजनीति हो, शास्त्र हो, दर्शन हो या कला हो तो वह विकृत होने से रुक जाता है। हिन्दुस्तान की मौजूदा मड़ी हुई राजनीति को और ज्यादा विकृत होने से रोकने के लिए जरूरी हो गया है कि नयी उम्र के आदमी जिनका खून ताजा होता है, बड़िया हाता है वह ज्यादा से ज्यादा उसमें हिस्सा ले।

51 शब्दों के साथ मैं आप से आखिर में अर्ज करूंगा कि हठवादित मत कीजियेगा करना इतना जरूर याद रखियेगा, दिनकर की एक लाइन मुझे ठीक याद नहीं है उन्होंने यही कहा था—गद्दी खाली करो कि जनता आने वाली है—मैं “जनता” न कहकर कहूंगा—गद्दी खाली करो कि युवजन आने वाला है। अगर हठवदित करेंगे तो नौजवान आपकी तरफ बढ़ रहा है, अगर कायदे में उसका रुक नहीं देगा तो मैं नहीं समझता वह अपने हथ से ही अपना रुक नहीं ले लेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि पांडे

जी ने जो विधेयक रखा है उसको आप स्वयं अपना विधेयक रखिए, हम विरोध पक्ष में बैठने वाले भास्वासन देते हैं उस विधेयक को हम पास करेंगे। यदि आप के मन में कुंठा हो कि किसी विरोधी या प्राइवेट मेम्बर ने विधेयक रख दिया है इसलिए हम कैसे इसको पास दें तो 5-10 दिन बाद अपना विधेयक आप ले आइये। वैसे मुझे याद है प्रीवी पर्स के सम्बन्ध में विरोध पक्ष के लोगों ने जो विधेयक रखा था उसको आपने गिरा दिया था और उसके 15 दिन बाद वही विधेयक अपनी तरफ से ले आये थे। मैं चाहता हूँ आपको सद्बुद्धि आये और आप इस विधेयक को पास करें—आज करें या दस दिन बाद करें लेकिन जरूर पास करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजमाबाद) : सभापति जी, मैं पहले सद्बुद्धि के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अगर सद्बुद्धि की कही जरूरत है तो वह विरोधी दलों में ही ज्यादा होनी चाहिए। विरोधी दल के एक नेता इस विधेयक को लाये हैं इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ इस वास्ते नहीं कि वे एक अच्छा विधेयक लाये हैं बल्कि इस वास्ते बधाई देना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सभी लोग उनके गुण गान कर रहे हैं। तो इस हद तक मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ लेकिन यह 18 साल के बच्चे सिर्फ वोट ही देना चाहते हैं या कुछ पढ़ना-लिखना भी चाहते हैं। आज हम एटामिक एज में हैं इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ हर 18 वर्ष का बच्चा साइटिस्ट बनने को कोशिश करे। मैं आज विरोधी दलों की तरफ इशारा करके बताना चाहता हूँ कि आज अपने देश में जो अनएम्प्लायड लोग हैं उनकी कोई भी फिक्र उनकी नहीं है। हमारे देश में अनएम्प्लायड लोगों को विरोधी दलों ने पैदा किया है जो किसी काम के नहीं हैं। इतने स्कूल कालेज, मेडिकल कालेज, टेक्निकल

कालेज खोले गए, वहाँ पर उनको पढ़ाया लेकिन यह लोग उन बच्चों का मन उन स्कूलों की तरफ न जाने देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी विरोधी दलों पर है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। वे वोट देना नहीं पढ़ना चाहते हैं। वोट देने का अधिकार 21 साल के बच्चों को दिया हुआ है। क्या जो 18 साल के हो गए हैं वे तीन साल और इन्तजार नहीं कर सकते हैं? 15 साल का बच्चा आज वोट देना नहीं बल्कि पढ़ना चाहता है। मिश्र जी ने कहा कि नवयुवक बाजार में निकल पड़ा है। हमारा तजुर्बा यह बताता है कि गौ में से एक ही बच्चा इस विषय का है जो बाजार में निकल पड़ा है और जो पढ़ना नहीं चाहता है। पाच लाख बच्चे घर पर हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पाच हजार बच्चे ऐसे हुए। यह बात ठीक नहीं है कि पाच हजार बच्चे पूरी तालीम को, यूनिवर्सिटी को, स्कूल को सब से वरवाद कर सकते हैं। सो मैं एक बच्चा भी अगर गुप्ता निकल जाए तो वह गुप्ता भारे समाज को तहसनहस कर सकता है। हमारी बदकिरमती है कि आपोजीशन वालों का भी मे से एक बच्चा भी मिल गया है और उस को ले कर सब जगह प्रचार कर रहे हैं कि बच्चे यह चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि देश का जितना नुकसान हुआ है, जितनी वरवादों की हूँ है और जिस में नवयुवकों का हाथ रहा है उसकी ज्यादातर जिम्मेदारी मिश्र जी जैसे सदस्य पर है —

श्री जनेश्वर मिश्र : रेल में बैठ कर बोलने वाली कर रहे थे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : थोड़े बच्चे ऐसे भी आये जो उनसब और आर एस एस के थे या मिश्र जी के लोगों की तरह के लोग थे। चावल कितना भी अच्छा बना हुआ हो एक आग्र ककड़ जरूर उस में घास निकाल ही लेंगे। बदनाम

करने के लिए सैकड़ों हजारों लोगों की जरूरत नहीं होती है, सैकड़ों हजारों में एक आदमी भी सब को कर्तव्य कर सकता है। हमारी बदकिस्मती है कि उन बच्चों में उनके ज्वालात वाले बच्चे भी शरीक हो गए और उन्होंने गड़बड़ी मचाई और कांग्रेस की रैली को बदनाम करने की कोशिश की। यह प्रीप्लांड था। इस चीज का सहारा ले कर अपोजीशन की तरफ से पूरी की पूरी बदनामी कांग्रेस के ऊपर थोपने की कोशिश की गई है।

मैं समझता हूँ कि 21 साल बिल्कुल ठीक है। 3 साल तक 18 साल वाले इंतजार कर सकते हैं। उनको डाक्टर इंजीनियर आदि बनने की तरफ ध्यान देना चाहिये। किसी ने यह कहा है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति में न आएँ आप देखें कि कांग्रेस के लाखों मैम्बर हैं। एक एक स्टेट में दस दस और पाँच पाँच लाख कांग्रेस के मैम्बर बन रहे हैं जिन में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, स्टुडेंट भी हैं। मैं अपोजीशन वालों से पूछता हूँ कि उनके मैम्बरों की संख्या क्या हमारे मैम्बरों की संख्या के एक परसेंट के बराबर भी है? अब जिस किसी की भी रुचि राजनीति में हो वह राजनीति में आ सकता है। विल्लेज लेबल, क्लक लेबल से बढ़ कर वह आगे आता जाता है। मैं भी नहीं समझता था कि मैं पार्लियामेंट का मैम्बर बनूँगा लेकिन मेरी रुचि राजनीति में हुई और मैं आगे बढ़ा और मैम्बर बन गया। मैं समझता हूँ कि जो थोड़े से बच्चे गलत रास्ते पर हैं उनको भी सही रास्ते पर लाया जाना चाहिये, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको उस गड़बड़ी वाले रास्ते से हटाया जाना चाहिये। वे अच्छे तरीके से पढ़ें और इसके माँके उनके वस्ते हमने पैदा किये हैं। एटमिक युग में बच्चों को इंजीनियर, टेक्नीशियन और डाक्टर आदि बनना चाहिये और उन में से जिन की रुचि पार्लियामेंट में हो वे पार्लियामेंट में जरूर आ

सकते हैं। पार्लियामेंट ऐसा नहीं है जो किसी को ट्रांसफर किया जा सकता हो। लीडरशिप ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। खुद-ब-खुद वह ग़ो होती है। इसके लिए थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तभी आदमी राजनीति में आगे बढ़ता है।

मैं इस बिल का पूरा विरोध करता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जनसंघ, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि सब लोग इनका साथ दे रहे हैं और इस की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका पूरा पूरा विरोध करता हूँ।

श्री परिपूर्णानन्द धन्यूली (टिहरी गढ़वाल) : हमारे एस एस पी के माननीय सदस्य ने भाषण के शुरू में डा० बी० के० आर० बी० राव की बड़ी प्रशंसा की। किन्तु उनका भाषण कंट्रैडिक्शन से भरा पड़ा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया उस में। वास्तविकता यह है कि एस एस पी जो है वह न संयुक्त है न सोशलिस्ट है और न ही पार्टी है उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। वह कांग्रेस को गालियाँ दे रहे है। किन्तु —————सर्विद सरकारें चला करके जो प्रतिक्रियावादी काम उत्तर प्रदेश में उन्होंने किए वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इस बिल का उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि यह बड़ी अच्छी बात है। हमारी पार्टी के भी अधिकांश सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। सरकार मानती है या नहीं मानती और क्या कदम उठाती है यह शासन के सोचने की बात है। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। यह सही बात है कि 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार नवयुवकों को मिल जाना चाहिए। इस वक्त 21 साल है। इस वक्त के एडल्ट में सचमुच में एडल्ट्रेशन आ चुका है। फिर इतने में कौन भेद करेगा कि 18 साल ठीक है या 21 साल ठीक है, 21 साल है तो क्यों, 25 वर्षों ठीक नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको अकल नहीं, वोट देना जानते नहीं हैं, उनको

[श्री पूर्णानन्द द्विवेदी]

वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक जमाना था जब स्त्रियों को वोट देने का अधिकार हमारे देश में नहीं था। विकसित कुछ देशों में उनको आज भी नहीं है। लेकिन मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता जो बुद्धिजीवी हैं वे सारी बातें समझते हैं। यह ठीक है 18 साल के युवक को आज वोट देने का अधिकार नहीं है किन्तु वह दूसरों को जिम को यह अधिकार प्राप्त है प्रभावित करता है और उसके प्रभाव में आकर वे लोग वोट देते हैं नाते रिस्तेदार अड़ोस पड़ोस वाले सारे उससे प्रभावित होते हैं। 18 साल का युवक इस युग में, प्रगतिशील युग में सारी दनिया देख चुका है। हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे तब इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं। आज घर घर में टी० वी० है रेडियो है न जाने क्या क्या है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिये। किन्तु खेद है कि इस निर्विवाद विषय में भी ये राजनीति ले आए हैं। इन्होंने यह कहा है कि हमने देश को गुमराह किया है। अगर हमारी गलती रही है तो विरोधी पक्ष की भी कम नहीं रही है बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूँ कि खराबियां पैदा करने में उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस से कहीं अधिक रही है। हम संयम और सन्न के साथ सारी बातें सुनते हैं। हम नाजायज लाभ उठाना नहीं चाहते हैं। आपने ट्रिब्यूनल करके गलत तरीके से रख कर गुमराह सदन को करने की कोशिश की है। डा० वी० के० आर० वी० राव का विरोधी दलों के लोगों ने समर्थन करते हुए जिस ढंग से अपनी राजनीति को उलटमाचाहा है तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं, यह बहुत अच्छे स्तर की राजनीति नहीं है। सदन की प्रतिष्ठा को काबज रखते हुए हमें अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री दरबारा सिंह (हौशियारपुर): इस

बिल को माननीय सदस्य अच्छी भावना से लाए होंगे। लेकिन बोलने वाले जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि वे सिवाय प्रोपेगंडा करने के उनका मुद्दा कुछ और नहीं है। अगर कोई कहता है कि 18 साल वाले को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या बात है, इसको आप देखें। हमारा सिस्टम आफ एजुकेशन जो है वह इतना नाकस है कि उसको बदलने तक की जरूरत है। डिसिप्लिन जितना 6 से 12 साल के बच्चों के अन्दर आ सकता है उतना उसके बाद कभी नहीं आएगा। जिस को हम पिढी कहते हैं छोटे बच्चों की उन बच्चों को हम एजुकेशन दिलवाते हैं जो इनडिफिनेट टिचर्स हैं जिन को खुद पढ़ाना नहीं आता और उनको पढ़ाने के काम में हम ने लगा रखा है। बोर्डों से लेकर कम से कम पढ़े लिखे लोगों को हम टीचर बनाकर स्कूलों में भेज देते हैं और जिस प्रकार की विद्या 8 और 12 साल के दमियान वाले बच्चों को मिलनी चाहिए, उस प्रकार की विद्या उनको मिल नहीं रही है। इस के नतीजे के तौर पर वे इनडिसिप्लिन्ड भी होते हैं और विद्या भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इस तरह हमारे नौजवानों का एक सही और भव्यतम वेम नहीं बनता है, जिस के नतीजे आगे के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे स्कूलों में डिसिप्लिन हो और हमारी एजुकेशन जाव-प्रोरियंटिड हो। आज हालत यह है कि हमारे नौजवान अग्राहक बीस साल तक पढ़ने के बाद जावलैम फिरते हैं। इस तरह आयोजीशन बायों को उन्हें एक्सप्लायट करने में आसानी होती है और वे उन्हें नक्सलाइड्स के रास्ते पर ले जाते हैं।

एजुकेशन से कास्ट सिस्टम टूट सकता है लेकिन अभी तक हम उसको नहीं तोड़ सकें हैं। स्कूलों में अलग अलग क्लासिज के बच्चों के साथ डिफरेंशिएशन किया जाता है। स्कूलों में नेशनल इन्टिग्रेशन की तरफ विलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि हमें इस किताबी मालिज को एक तरफ फेंक देना

चाहिए क्योंकि वह हमें कहीं नहीं ले जाने वाला है। हमें एजुकेशन के सही मकसद को प्रकटकल शेष देना चाहिए।

हमारे कांस्टीट्यूशन में यह भी डिसट्रिपैन्सी है कि जब 21 साल का आदमी वोटर हो सकता है तो फिर वह खड़ा क्यों नहीं हो सकता है। इस डिसट्रिपैन्सी को भी खत्म करना चाहिए। श्री मिश्र नये नये आये हैं। उनमें जोश बहुत है लेकिन जोश के साथ होना भी होना जरूरी है। जिन मैम्बरान ने इस विल की मुखालिफत की है उन्होंने यही कहा है कि जोश के साथ होना भी होना चाहिए। मैं इस विल की मुखालिफत नहीं करता हूं।

आज हमारी फिल्मों में लड़के-लड़कियों की शादी और चोरी डकैती के अलावा क्या दिखाया जाता है। लड़का और लड़की पहले अजनबी होते हैं वे मिलते हैं और फिर उन की शादी हो जाती है, सिवाये इस के फिल्मों में और क्या दिखाया जाता है? इस लिए फिल्मों में भी मुनासिब तबदीली करनी चाहिए। बहुत अर्सा पहले मैंने चायना की एक पिक्चर देखी थी जिसमें दिखाया गया था कि लैंडलाडिज्स को कैसे खत्म किया गया पहले कैसे लड़कियों को रेप किया जाता था और कैसे उस को खत्म किया गया कैसे सफाई की गई। पच्चीस तीस साल के बाद आज भी मेरे दिमाग पर उस पिक्चर का असर कायम है। इस के मुकाबले में हमारी फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि चोरी कैसे करनी है, छुरा कैसे मारना है वगैरह इसी लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये सब जुर्म करते हैं क्योंकि उन को ये सब बात दिखाई जाती हैं।

9 अगस्त की रेली के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वह रैली राइट रीएक्शन वाले लोगों के खिलाफ गई है जो चाहते थे कि हम यह दिखाये कि इन के साथ कोई नहीं है कोई यहां आने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुआ है और उन इन्फि-

ल्ट्रेज ने ऐसा काम किया है। लेकिन राइट रीएक्शन को इस रैली से कितनी तकलीफ हुई है, वह इस से जाहिर है कि वे लोग हाउस में चार पांच रोज से इस के पीछे लगे हुए हैं। इस का मतलब यह है कि उन का तिलसम टूट रहा है और लोग राइट रीएक्शन से दूर हट रहे हैं। इस हालत में हमारे ये दोस्त कम्युनल और पाप- इकानोमिक प्रोग्राम को लेकर कब तक खड़े रह सकते हैं। मुल्क की इकानोमिक डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए उन्हें अपना कोआपरेशन देना चाहिए।

जे० पी० की मूवमेंट का हमें डरावा दिया जाता है। क्या वह कोई नेक काम कर रहा है? वह बच्चों को भड़का रहा है कि स्कूल जाओ इस को तोड़ो। उस को तोड़ो, अगर इन को यह अच्छा लगता है, तो ये उस की तारीफ करें। मेरे ख्याल में यह सब से बुरा काम है। सर्वोदय का काम यह नहीं है। मुल्क को बनाने के लिये तामीर की जरूरत है, न कि तखरीब की। इस लिए तखरीब का काम करने वाले की हम कभी भी हिमायत नहीं कर सकते हैं, चाहे उस की कितनी ही इज्जत हो और वह चाहे कितना बड़ा या पुराना हो। आज हमारी जो इकानोमिक कन्डीशन है, जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, उस को देख कर तो हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को एक तरफ रख देना चाहिए और यूथ को खुद आगे आ कर इकानोमिक कन्डीशन को दुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

आखिर इन बातों का क्या मतलब है कि सब पड़ना बन्द कर दें, घेराव किया जाये, पत्थर मारे जाये, होटलों पर कब्जा किया जाये। ये बातें हमें कहीं नहीं ले जायेंगी। इसलिए हमारे दोस्त बिहार की भिसाल देकर अपने को छोटा न बनायें। वे तखरीब की तरफ जा रहे हैं। आज मुल्क की तरक्की के लिए तामीर की जरूरत है।

[श्री दरबारा सिंह]

जहाँ तक इस इश्यू का ताल्लुक है, मैं मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि वह इस को कनसिडर करे और इस के प्रोजेक्ट एण्ड कांज को देखे, तो इस में से कोई न कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है। यह सवाल ऐसा नहीं है कि इस को थोड़ा उट कर दिया जाये। इस को कनसिडर करने की जरूरत है। इस बिल को डा० पाडेय लाये हैं जो ओपोजीशन में हैं। जो कोई भी नेक चीज लाये, हम उस की तारीफ करते हैं।

SHRI VIKRAM MAHAJAN (Kangra): Mr. Chairman, Sir, this Bill has raised a discussion which,—if I am not using a strong word,—is more akin to what one may term as 'slogan-mongering'.

Now, it is very easy for one to say: Give right of voting to an 18 year old boy or girl. It is still easier to say, give him right to be elected and to be a representative.

Then, the next person will turn round and say, why this should be 18, why not 16, what is wrong with a boy of 16 or a girl of 16. The next man will ask, why can this not be 14 and so on. We should know what is the basis concept behind right of voting and right to be elected which is followed by some of the countries. Of course, a slogan was raised in one of the western countries and I think they have reduced. I will come to this later. But so far as slogan-mongering is concerned, there is no end of competition and if one says 18 the other would say 16 and the third one will say 14. And there is no end to competition in slogan-mongering for bringing it to 16 or 14 or even 12.

The basic point which we should remember is this, that our nation wants its youth to have a sense of responsibility and devotion and dedication to work and we must first educate our younger generation. That is the basic point.

Age of entry in most of the university is 18. A person who is less than 17 years is not permitted to sit in the matriculation examination. A boy or a girl who has just appeared in matriculation examination is in the threshold of what you may call 'learning stage'. At that stage, one has to devote himself to the art of learning which will enable him to serve the country and also to make a living for himself and his family. If you permit him to devote himself for political purposes, for a temporary purpose of course, you will succeed yourself. But, in the long run, you will only do disservice to the generation of our country. The objective of the legislation is to have a generation and to make an effort to build that generation which, in the long run, builds up a nation. Therefore, what I submit is that instead of reducing the age you should extend it so that he not only learns the basic methods of building a nation and he should also be able to make a living himself—that is learning the art of living also. I have a grievance here. If you lower this age of a person, that does not give him a chance to make a career for himself. That is one of the reasons why today you find more and more of corruption in the country. A representative should learn how to make a living for himself and his family. Nobody can be sure whether he will be returned next time in the election. What happens is this. You give a chance to the person in a very early age to get elected. Suppose he loses in the next election. He has nothing to stand on. You have to see that he is resourceful otherwise there will only be corruption. I suggest that you make it a condition for a representative to have a source of living which will enable him to stand in bad times so that he can look after himself. He should have resources for that purpose. That is one reason for the corruption if you encourage reduction in the age of a voter. You should bring a bill and say that unless a person has a source of living either as a farmer or as a professional

man or some other means of living, he should not fight for an election. If you do it, then you will see that corruption in the country will go down. As long as you permit the people who have no other sources of living to come here and if you encourage that, you will find that everyday the corruption will go up. And you will never be able to eradicate that at all. The only way to eradicate the corruption in the country is this. You should see to it that the people learn how to make their living for themselves. Only they should come in and not those who have no other source or who are only taking the politics as a career. You should discourage this if a youth or any person comes to politics only for the purpose of making it as his career. It should be his duty to serve his country. He should come here with the object of doing his duty to the country. Normally, a man can do his duty only if he has the source will happen to him after the term of will happen to him after five years. He will always think, if he has no other source of income, as to what will happen to him after the term of five years. He will never do his duty to the country.

Therefore, I submit that the age of voting should be such and at that age, a person should be able to start making a living for himself. That should be the age of voting at which he may be able to get himself elected. If he has the source of income to make a living for himself and for his family, he knows what is right or what is wrong.

MR. CHAIRMAN: If this is done then only pensioners will be able to come here?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I do not think so. This is an outmoded concept.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): If you do that, then only landlords will come forward here.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: My learned friend, please correct yourself. He is interested in giving slogans. If I come forward with concrete suggestions, he will accuse me that I am supporting the capitalists or I am a reactionary, this and that. What I am saying is this. The people who have the source of living or who have learnt to make a living alone should come in the House so that they do not look forward to this when there is bad time and when they are not returned to the House. They should not be thrown on the road if they are not returned. They should be able to make a way of living. If they only depend on the membership of the House, then you will only encourage them to become corrupt—they may not necessarily become corrupt but there is a chance of their becoming corrupt.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandrappan, the hon. Member is not against the age factor. He is only on the point of resource factor.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: That is why if you make a person after thirty to thirty-five years then he would have learnt the art as to how to make a living. This will help reduce corruption also. We in this House should not indulge in slogan mongering and ruin the generations one after another. We have already done a lot of harm to the coming generations. For heaven sake give constructive suggestions so that the future generations do not say that this generation for their own considerations ruined the nation.

श्री रामावतार शास्त्री (ट ट) :
समाप्त जी मैं केवल एक बात अपने उन मित्रों
ने पूछना चाहता हूँ जो 18 वर्ष के
नवजवानों के मतदान का अधिकार किसी न
किसी बहाने नहीं देना चाहते। श्रीमं श्रीमं
माननीय सदस्य महाजन जी ने बताया कि
18 वर्ष अगरे उम्र हो जायेगा और उ को
वोट देने का अधिकार हो जायेगा तो अष्टा-

[श्री रामावतार शास्त्री]

चार को बढ़ावा मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है.....

श्री विक्रम महाजन : आप ने समझा नहीं। मैं ने यह कहा कि 18 साल कर देंगे तो उन का ध्यान पालिटिक्स में चला जायगा और वे अच्छी तरह पढ़ लिख नहीं सकेंगे, देश की सेवा नहीं कर सकेंगे। अष्टाचार के बारे में मैंने कहा था कि जो लोग एलेक्शन लड़ते हैं वे अपने खाने पीने का बन्दोबस्त पहले कर ले तब एलेक्शन लड़ें... (व्यवधान)

श्री जगन्धर मिश्र : क्या उन का प्रधान मंत्री चुनाव लड़ने जब आई तो उस के पहले उन्होंने अपने खाने पीने का इतजाम कर लिया था, कोई धनवा करती थी ? (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि जो लोग यह तर्क देते हैं कि अठानार को बढ़ावा मिलेगा या उन की बुद्धि परिपक्व नहीं होती है, इसालय वे नहीं निर्णय या नहीं बन नहीं कर सकेंगे। इस के बारे में मैं उन मित्रों से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला मेरी तरह कादम्बर का नडावा कर माला है और हजारों लाखों नाजवानों ने 16 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या उस समय उन की बुद्धि इस मामले में परिपक्व नहीं थी कि हमारे देश को आजाद होना चाहिये ? बिल्कुल परिपक्व थी कि यहाँ से लुटेरों को जाना चाहिये। उस समय वे ठीक थे क्यों कि गांधी जी थे। शायद आप नहीं थे उस समय, आप रहते तो कहते कि हम तुम को आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेने देंगे क्यों—कि तुम अपरिपक्व हो, तुम विवेक से काम नहीं लेते हो। लेकिन उन्होंने अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस में हिस्सा लिया और दुनिया के तमाम देशों का इतिहास है,

छोट छोटे नाजवान बच्चों ने अपने देश के लिये कुर्बानिया की और उन को आप यह अधिकार नहीं देना चाहते.....

श्री विक्रम महाजन : रूस में क्या उम्र है ?

श्री रामावतार शास्त्री : जहाँ तक मेरी जानकारी है 18 वर्ष है।

श्री विक्रम महाजन : पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं ? ... (व्यवधान) 25 है।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: You do not know that.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I will bring the book from the library and you will have to apologise.

SHRI C. K. CHANDRAPPA: It is 18 in Russia and in so many other countries.

MR CHAIRMAN: Mr Mahajan you can go to the library and bring your book.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यहाँ कह रहा था कि तरह तरह के गलत तर्क दे कर लोग नाजवानों को इस अधिकार से वंचित रखना चाहता है। हर इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि अगर उन से नाम लेते हैं, वे आप के लिये, मंत्रियों के लिये, श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये वोट मांगते हैं अगर उन को वोट मांगने का अधिकार है तब उस समय उन की बुद्धि ठीक है तो जब वोट देने की बात होती जाती है, तो कहा जाता है कि उन की बुद्धि परिपक्व नहीं है—यह क्या तरीका है। व वोट माग सकते हैं, आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले सकते थे और अभी हाल में आप उन को प्रदर्शन के लिये यहाँ लाये पर वोट नहीं दे सकते आप राइट रिप्रेजेंटेटिव से लड़ना चाहते हैं हम भी लड़ना चाहते हैं ठीक है कि हर मामले में मैं मिश्रा जी के साथ नहीं हूँ लेकिन बहुत से मामलों में उनके साथ हूँ—अगर अकाल की बात हो तो हम सब साथ हैं—दुनिया के बहुत

सारे मुल्कों में 18 साल की आयु को मान लिया गया है, मतदान अधिकार दिया गया है—तो यहाँ उन को वे अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तरह-तरह की बातें कह कर आज नौजवानों को कसाया जा रहा है—मैं आप को बतला देना चाहता हूँ वे अब चुन नहीं रहे, अपने अधिकारों के के लिये लड़ेंगे।

वे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिये ठीक थे, आप के लिये वोट मागने के लिये ठीक हैं, नारे लगाने के लिये ठीक हैं, देश जो भी बुराई और खराबियाँ हैं उन के खिलाफ आवाज उठाने के लिये ठीक हैं। आप स्वयं कहते हैं कि देश में बहुत तरह की बुराईयाँ हैं, उन के खिलाफ लड़ो, वे समाजवाद का नारा लगा सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, लैड रिफॉर्म के लिये देश के नौजवानों की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन उन का जो सबसे बड़ा अधिकार है, उस अधिकार में अपने-का-तक देकर आप उन्हें अलग रखना चाहते हैं—है क्या यह ठीक है ?

पाण्डे जी और उन की पार्टी में हमारे अपने-का मतभेद हो सकते हैं लेकिन आज उन का यह बिल बहुत मौजूबिल है और बहुत ठीक समय पर आया है। आज हिन्दुस्तान का नौजवान वोट के अधिकार का नारा लगा रहा है, पाण्डे जी के नौजवान भी नारे लगा रहे हैं, आप के नौजवान भी नारे लगा रहे हैं, मिश्रा जी के नौजवान भी नारे लगा रहे हैं—किसी नौजवान में भी इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आप गद्दी में चिपके रहना चाहते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग आज इन नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं देते। मैं तो इस सवाल का हूँ कि दो बार से ज्यादा एक आदमी को पार्लियामेंट में आने का अधिकार नहीं होना चाहिए, हमें नौजवानों के लिए जगह

खाली करनी चाहिए, वे आगे तो देश आगे बढ़ेगा, उन के अन्दर ताज़ा खून है, कुछ काम कर के दिखाने की तमन्ना है।

शुक्ला जी, इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, वे बोल गये कि 18 वर्ष के नौजवानों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगले इलेक्शन में किसी भी नौजवान को उन के लिए काम नहीं करना चाहिए...

SHRI R. V. BADE (Khargone): May I point out that in Russia also all citizens, both men and women who have reached the age of 18 have the right to vote with the exception of persons certified....

MR CHAIRMAN: Let him show it to Shri Vikram Mahajan.

श्री रामावतार शास्त्री सभापति महोदय, शासन दल की तरफ से जो भी दलीलें इस बिल के विरोध में दी गई हैं, वे गलत हैं। अब मौका आ गया है, आप नौजवानों को रोक नहीं सकते, आप उन को अधिकार दीजिए, ताकि वे अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सकें। आप और हम उन को यह सीख दें कि वे देश में समाजवाद को मजबूत करने के लिए लड़ें, राइट रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ, सम्प्रदायवाद के खिलाफ लड़ें देश की दूसरी बुराइयों के खिलाफ लड़ें, लेकिन साथ साथ आप उनको मताधिकार दीजिए। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करना चाहता हूँ—अगर आप को कोई कठिनाई है इस बिल को स्वीकार करने में, तो इसी सेशन में दूसरा बिल लाइये, या वायदा कीजिए कि अगले सेशन में, जो नवम्बर में होगा, आप दूसरा बिल लायेंगे ताकि आज नौजवानों के मन में जो शंका है कि आप उन्हें यह अधिकार नहीं देना चाहते, वह दूर हो सके और उन को यह अधिकार मिल सके, ताकि वे भी एक नये हिन्दुस्तान को बनाने में, देश

[श्री रामावतार शास्त्री]

समाजवाद और जनतन्त्रिय प्रणाली को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका बढ़ा कर सकें। हिन्दुस्तान, के नोजवानों में ज्यादातर गरिब किसानों मजदूरों और मेहनतकश लोगों के बच्चे हैं, पूँजीपतियों के लड़के इन आन्दोलनों में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसलिए यह अधिकार उस को अवश्य मिलना चाहिए ताकि वह एक नया समाज बना सकें और हम को भी यह गर्व हो कि हमारे नये नोजवान देश को सही रास्त पर चल रहे हैं।

SHRI NIMBALKAR (Kolhapur): First of all, I want to thank you very much for giving me this opportunity to speak.

I am very much for this Bill, though I do not agree with the arguments put forward either from this side or from the other side. I do not, for instance, agree with the argument that because in the socialist countries 18-year olds and above are allowed to vote, therefore we must have the same thing in our country. In the socialist countries of which people are speaking, even if unborn babies were allowed to vote, the result would be the same. So to say that the 18-year olds in our country should be brought into the voters' list just because it is so in the socialist countries is an argument I do not accept.

SHRI C. K. CHANDRAPPA: No-body argued like that.

SHRI NIMBALKAR: If you say that 18-year olds are also allowed to vote in socialist countries...

SHRI C. K. CHANDRAPPA..... and in many other countries.

SHRI NIMBALKAR: If you say that, it becomes an argument. Prof. Mavalankar should at least agree with me on that.

SHRI P. G. MAVALANKAR: Shri Mahajan challenged Shri Shastri by saying that in the socialist countries

they have still no vote at the age of 18. But Shri Mahajan is wrong. In Russia, for instance, the vote is given at the age of 18.

SHRI NIMBALKAR: That is apart. What Shri Mahajan wanted to say was different. If I were in the Opposition benches, I would have agreed with him on one point. But that is not the point. Let us consider our country and our society. What Shri Mahajan wanted to say was this. If I were given food as a voter, as an MP and if I cease to be an MP I cannot exist and my food will not be there, then it is a sort of pressure on me and as an MP I will not think freely. I will not be able to express my thoughts freely. If I am the member of a particular party, I will not have the courage to tell the party if it is going wrong. This was the point he wanted to make. There is nothing more than that.

I do not agree that that should be the main point for saying 'no' to the 18 year olds. That is not the point either. I cannot agree with him that that should be made a point for saying 'no'. What I am trying to say is that what he said is not entirely wrong.

The real reason for me for supporting this lies in the census that was taken in 1970-71. It is a very interesting revelation. Our country is young in every sense. If you see the census figures, one third of the population of our country is below the age of 15; more than half the population are below the age of 20. Now, I ask; if you are going to have majority government here, should not the majority of the people be allowed to vote? If you will not allow people of 18 to vote, it means the majority are not voting for you. Then we are not coming here with a majority vote. In any case, we do not come with a majority vote, of the majority that is allowed to vote. This is a very basic point. I would say that the Government should definitely accept this because, surely, where is

democracy if the majority of the people are not allowed to vote? Even when a minority is allowed to vote, from that minority probably a minority comes into power. This should not be the case. This is the basic and the valid point why we should bring down the voting age to 18. It is not an argument to say that at 18 we get married and we do this or that at 18. If that were so, 16 is the minimum age for girls to marry and you can as well argue that girls should get voting right at 16. The real argument is, we should be proud that our country is young in every sense. This is one point on which there can be no difference of opinion. We would like to represent this country in the real sense. That is the main reason why we should reduce the voting age to 18.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam): Sir, I agree that our country is a young country. It is at the same time a very ancient country. It was said that some western countries have given the right to vote at 18. Due to climatic and other conditions, in western countries, the mind matures later than in this country. If westerners can think of lowering the voting age to 18 why not in India, where Shankara started the erudition when he was only 13 and toured the whole country from Himalayas downwards? Vivekananda attained self-realisation very early.

Gnaneswara wrote his commentary on Bhagvad Gita at a very early age. All these died young also.

Which party can say with its hand on its heart that it is not exploiting the youth? Whenever there is some situation, they involve the youth for their own selfish purposes. None of us can claim we are free from this. The youth have a peculiar quality. They feel that something should be done. If some injustice is done, without having the patience to go into it, the youth try to sacrifice their lives like insects falling into the lamp. Is life not sweet for them?

Being young, it should be sweeter for them, but still why do they go in such large numbers and sacrifices their lives in spite of repeated warnings? How many of us here are prepared to sacrifice our lives. As we become old, we become more selfish. Therefore, to involve the young people in the elections at a young age is good for the healthy functioning of democracy.

If we accept this proposal, the increase in the number of voters will be only 40 million, which is not a very big number. Public opinion has been in favour of this measure. The newspaperers have written editorials in favour of reducing the age of voting to 21. I was seeing some press cutting and I find that some parliamentary committee where Shri Jaganatharao was present has also made this recommendation.

There is one more reason why I support this measure. Out of these 40 million, about 20 million will be girls who are at the age of 18, and they will get the right of franchise. I was a staunch supporter of the prohibition of dowry. When this measure was passed I was in the Andhra Legislature. Here also I supported it. Pandit Nehru gave some rights to the women, some economic rights, by the amendment of the Hindu Succession Act. But the effect of it is that whatever little rights the girls had have been taken away. When a girl gets married at the age of 18, she has no property right. Is it for this position that the women of India fought and voted the present government to power? We voted for this government with the expectation that certain rights will be given to them. So, I would say that equal rights should be given to women.

MR. CHAIRMAN: That is a very good point, a very valid point, but do not bring it in this discussion on the question of voting age.

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: If we accept this proposal

[Shrimati T. Lakshminakthama]

2 crores of girls of the age of 18 will have an opportunity to influence the laws of this country.

Further, whether we agree to the partyless democracy of Shri Jaiprakash Narayan or not, certainly, all the political parties would be afraid of setting up candidates who have no reputation if young people are giving the right to vote. So, the parties will think many times before setting up their candidates. That is also an argument in favour of this proposal.

The question of the age for contesting to Parliament and State Legislatures has been discussed at great length. The question is whether it should be reduced to 21. During the Telengana movement we found that many young people were elected to the Lok Sabha. So, on all these grounds, I support this proposal.

17 hrs.

*SHRI JAGDISH BHATTACHARYA (Ghatal): Mr. Chairman. Sir, this Constitution Amendment Bill brought forward by Dr. Pandey for reducing the voting age to 18 years is a very timely step. In the discussion that has taken place in this House on this Bill, it has been seen that a large majority of those participating, has supported it. A few members have of course objected to it on various grounds. It has been stated by them that at the age of 18 the boys are mostly engaged in their studies and it will not be proper to drag them in politics at that stage. To that objection I will say that there is no justification for thinking that the boys who are interested in politics, are neglecting their studies. Further, just because they have been given the voting right it does not automatically follow that they are entering politics. Sir, elections are held at an interval of five years. If the youth of 18 earn the right to vote in those elections it does not mean that they are indulging in politics at the cost of their studies. There is no ground to imagine such a thing. More-

over, what is the percentage of educated persons among our present day voters? In our country hardly 30 per cent of the total population is literate and judging from the trend of things it can be said that at the end of the current century people from other countries will come to India to see what an illiterate person looks like because illiterate persons won't be found anywhere else on this earth. But they will be found in plenty in our country about that we are quite sure. Therefore, I do not think that so much concern need unnecessarily be shown to the educational aspect in the matter of giving voting right. Another objection that has been voiced against this Bill is that a person should have some source of income or means of earning his livelihood before he gets right of franchise. This is hardly possible at the age of 18. This objection has been raised by Shri Mahajan. In this connection I will ask that in our country what is the age at which a person is provided with certain means of livelihood? Is there any guarantee about that? In this unfortunate country many people do not get any means of livelihood throughout their life. They spend their entire life begging from door to door. Therefore, if one has to wait for some means of earning his livelihood before he gets right of voting then, I am afraid, a large number of voters will have to be removed from the voters' list. There is also no logic for saying that a person will turn corrupt or dishonest if he has no means of earning his livelihood. In our country, I believe, that they are the most corrupt persons who are quite affluent and have enough means of earning a decent living. The rich people are most corrupt but they have the voting right and it is also much easier for them to win elections.

Shri Ramavtar Shastri has justly pointed out that during our freedom struggle the majority of those who jumped into the fray and risked their lives to free this country from the

*The Original speech was delivered in Bengali.

shackless of slavery, had not attained the age of 21. Sir, 'Kshudiram' the great revolutionary embraced the gallows while fighting the alien rulers. But what was his age at that time? According to the present provisions he was not mature enough to get the right of voting? Is it not fantastic? Only the other day here we paid tributes to the memory of one of our party's leaders, Shri Hare Krishna Konar. Sir, at the age of only 16 he suffered imprisonment in the Andamans as a revolutionary in our freedom movement.

Therefore, Sir, if the youth of our country could fight in the freedom struggle and invite imprisonment and death before attaining the age of 18, if they are even today considered fit to join our Defence forces and the defence of our motherland can be entrusted to them at the age of 18, there is no justification for denying them the right of franchise at that age. Sir, many of our women attain motherhood at the age of 18. If they are fit to bear the heavy responsibility of bringing up children at that age, surely they are fit enough to bear the responsibility of electing their representatives to the State assemblies or the Parliament. Sir, if our young boys and girls get the right to vote at the age of 18, they will become conscious of their responsibility even earlier and will behave in a responsible manner. They will be more mature in their outlook and more rational in their actions. They will be conscious of their obligations to the society, because rights and obligations go together. This will go a long way in producing better citizens for tomorrow. The young people will not go astray but will devote themselves to constructive activities and responsible behaviour. Sir, I extend my full support to this Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नोतिराज सिंह चौधरी) : इस बिल के दो पहलू हैं और दोनों की गई हैं। पहली यह है कि आर्टिकल

19 में क्लॉज एच जोड़ी जाए तब कि मतदान का अधिकार फंडेमेंटल राइट्स में आ जाए। क्लॉज 3 के जरिए आर्टिकल 326 संविधान में मतदान को जो आयु 21 वर्ष है उसको घटा कर 18 वर्ष किया जाए। मैं पहले क्लॉज 2 के बारे में कहना चाहता हूँ। यह विषय जब संविधान तैयार किया जा रहा था, उस समय भी उठा था। इसको उठाने वाले थे स्वर्गीय श्री के.एम. मुंशी। संविधान सभा ने उस समय तीन कमेटियाँ बनाई थी। एक का नाम था फंडेमेंटल राइट्स सब कमेटी जिस के अध्यक्ष आचार्य जे. बी. कृपलानी थे और उसके ग्यारह सदस्य थे, जिन में श्री मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, श्री के. टी. शाह, डा० अम्बेदेकर, श्री जयरामदास दोलतराम, श्री के.एम. मुंशी, श्री हंस मेहता, श्री के.एस. पाणिकर आदि। दूसरी कमेटी जो माइनोरिटी कमेटी थी उसके चेयरमैन श्री एस. सी. मुखर्जी थे और उसके 34 सदस्य थे। उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। दोनों में मतभेद था और राजा जी उस मतभेद के अगुवा थे। इसलिए तीसरी कमेटी जो कि एडवाइजरी कमेटी आन फंडेमेंटल राइट्स, माइनोरिटीज, ट्राइबल एण्ड एक्सक्लूडिड एरियाज सब को थी और इसके स्वर्गीय सरदार पटेल अध्यक्ष थे और जिस के 78 और सदस्य थे उस कमेटी ने इस पर विचार किया। उस कमेटी ने अपने 23 अप्रैल के पत्र में संविधान सभा के अध्यक्ष को लिखा कि सब बातों पर विचार करने के बाद कमेटी की यह राय है कि इस को फंडेमेंटल राइट न बनाया जाये। मैं समझता हूँ कि जो बात इतनी खोज, तर्क और विचार के बाद निश्चित की गई है, उस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस लिए इस बिल की क्लॉज 2 में जो यह मांग की गई है कि संविधान आर्टिकल 19 में क्लॉज (एच) जोड़ी जाये, मैं उसका विरोध करता हूँ।

[श्री नीतिराजसिंह चौधरी]

मैं यह भी कहना चाहत हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय हुआ है, उस में संविधान के कुछ बेसिक राइट्स कहे गये हैं। उन में मतदान का राइट एक बेसिक राइट माना गया है। इस सब को देखते हुए मैं समझता हूँ कि डा० पांडेय यह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने क्लॉज 2 में जो मांग की है, वह उचित नहीं है।

क्लॉज 3 में यह मांग की गई है कि—

सभापति महोदय : आप क्लॉज 3 मान जायें, तो वह क्लॉज 2 में न जायेंगे।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं क्या कह रहा हूँ, यह सुन लीजिए। मैं न किसी के उत्तेजना के शब्दों से उत्तेजित हुआ हूँ और न गालियाँ देने का मुझ पर असर पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : गलियाँ किसी ने नहीं दी हैं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। खैर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जो कुछ मुझे कहना है, वह मैं कह रहा हूँ।

क्लॉज 3 में व्यस्क मताधिकार के बदले में वालिग मताधिकार की बात कही गई है। कुछ लोगों ने बड़े मजे के साथ कह है कि जब आदमी 18 साल में शादी कर सकता है, तो वोट क्यों नहीं दे सकता है। मैं उनको केवल इतना याद दिताना चाहता हूँ कि शादी की उम्र बढ़ाने की मांग बड़े जोरों से चली है और लोग 25 और 21 साल की मांग कर रहे हैं। इस लिये अगर माननीय सदस्य इस तर्क को न रखे, तो ज्यादा अच्छा होगा।

संसार में केवल एक देश है मेक्सिको, जहाँ यह तर्क माना गया है। वहाँ मताधिकार का हक, यदि कोई शादीशुदा हो, तो 18 साल जाने को है, और यदि शादी नहीं हुई है, तो

उसका 21 वर्ष का होना जरूरी है। संसार के बाकी देश में शादी से मताधिकार को नहीं जोड़ा गया है। हम भी न जोड़े, तो अच्छा है।

इस वक्त के दौरान प्रोफेसर मावलंकर और डा० बी० के० आर० बी० राव ने कहा है, उसका सब सदस्यों ने उल्लेख किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है, उस का एक अंश मैं आप की अनुमति से पढ़ देना चाहता हूँ।

Prof. Mavalankar said.

The youths in foreign countries psychologically, intellectually and emotionally are more active, responsible and advanced; our youths lag behind.

डा० बी० के० आर० बी० राव ने कहा है :

They are being politicalised but not on right lines; by giving voting rights political parties will take more serious interest in them, responsible interest more open interest in them.

मैं इससे असहमत नहीं हूँ। यह बात सही है कि जब किसी आदमी पर जिम्मेदारी आयेगी, तब वह बात करने में भी जिम्मेदारी महसूस करेगा। और अगर उसको गैर जिम्मेदारी से बात करना है, तो वह कुछ भी कह सकता है—उसको अगर ऊल-जलूल भी कहा जाय, तो गलत नहीं होगा। लेकिन प्रोफेसर मावलंकर ने और डा० राव ने भी इस संबंध में यह जो बात कही है, वह कालेजों में पढ़ने वाले युवकों के बारे में ही है। इस देश में 18 साल की आयु पर मतदान का हक देने का जो सब ल है, उसका संबंध केवल उन युवकों से नहीं है, जो कालेजों में पढ़ते हैं। अगर 18 साल के व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया जायेगा, तो चाहे वह युवक जगदलपुर के जंगल में रहता हो, चाहे अरावली में रहता हो, चाहे दिल्ली के आस पास के किसी गांव में ल-चला हो, चाहे कहीं भी हो, वह अधिकार सब को होगा। इस बारे में उनके विचार क्या हैं, इस विषय पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। जनरल भाषा

में कहा है। प्रोफेसर मावलंकर और डा० राव ने विधायक कलेजों में पढ़ने वाले युवकों के बारे में कहा है।

सभापति महोदय उन्होंने एडल्ट सफरेव एडल्ट क्राइम की बात कही है "एडल्ट" में सब का मतलब आ जायेगा आप किसे एडल्ट कहेंगे ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : "एडल्ट" तो अभी भी हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि बालिग मतधिकार होना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 326 में "एडल्ट" शब्द का उपयोग किया गया है। और 21 वर्ष की आयु का जिक्र किया गया है। डा० पांडे ने कहा है कि मैजिस्ट्री एक्ट में 18 वर्ष के व्यक्ति को बालिग माना जाता है, वह कानून में मुआहिदे कर सकता है, तो उसको मतदान का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता है। मैं इसको मान सकता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है,

SHRI P. M. MEHTA: If uneducated youths are given legal rights for all other purposes, why they should not be given the rights for this purpose also.

MR. CHAIRMAN: What is the definition of an adult and why do you say that an adult as far as the voting right is concerned, begins at the age of 21. This is the question that has been raised.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY: If you read Art. 326 you will find the definition of 'adult'. The constitution makers felt that one who has completed twenty one years of age shall be entitled to vote. That is the interpretation of Art. 326. A person, after completing 18 years of age becomes major under the Indian Majority Act. If that is so why he should not be given the right of vote at the age of 18. That was the point raised by Dr. Pandeya.

SHRI P. G. MAVALANKAR: A person who is 21 years is an adult for voting. For other purposes the age is 18. According to our Constitution one who is 21 years of age is an adult and who is less than that is not. Is this the argument?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY: I am only saying that as far as a plain reading of Art. 326 itself goes, the framers of the Constitution felt at that time that a person must be 21 years of age when only he should be given the voting right. I am only saying that.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mavalankar, he is only relying on Art. 326.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY: I am not going into the dictionary meaning of the word 'adult'.

MR. CHAIRMAN: He agrees, Mr. Mavalankar, that for other purposes it is 'yes' and for voting purposes it is 'No'.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : चेयरमैन, साहब, मुझे जो कहना है, वह मैं कह रहा हूँ। अर्थ लगाने वालों को स्वतंत्रता है कि जो अर्थ वे लगाना चाहें वे लगायें।

रवि ठाकुर ने गीतांजलि लिखी। उसके बाद वह जर्मनी में गये। वहाँ कहीं एक सज्जन गीतांजलि पढ़ा रहे थे। उन्होंने रवि ठाकुर से कहा कि मैं गीतांजलि पढ़ा रहा हूँ, आप आइये, सुनिये, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ था, गलत पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने उसका एक अर्थ लगाया और उसके बारे में रवि ठाकुर से पूछा। सुनने के बाद रवि ठाकुर बोले कि मेरे मन में तो यह कल्पना नहीं थी, लेकिन इसका यह अर्थ जरूर हो सकता है।

इस लिये मैं कह रहा हूँ कि जिस ने जो अर्थ लगाना हो, वह लगाये। मुझे जो कहना है वह मैं कह रहा हूँ।

मत देने के लिये आयु कितनी हो, यह बात आज ही खड़ी नहीं हुई है। यह बात

[श्री नीति राज सिंह चौधरी]

बार इस सदन में आई है और इस पर विचार हुआ है। शासन ने इस बारे में हर तरह से जांच की है और इस पर विचार किया है। माननीय सदस्य मानेंगे कि इस प्रश्न का संबंध केवल केन्द्र से नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रदेशों से भी है और इस को भ्रमल में लाने की सब जिम्मेदारी प्रदेशों पर है। मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ, उससे यह स्पष्ट हो जायेगा।

यदि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाये, तो अपनी जनसंख्या के अनुसार 5 करोड़ से ऊपर मतदाता बढ़ेंगे। चूंकि 800 मतदाताओं के लिये एक पोलिंग स्टेशन होता है, इस लिए 40 हजार से ऊपर मतदान केन्द्र बढ़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर पांच आदमी मतदान की व्यवस्था को रखते हैं। इस तरह दो लाख से ऊपर आदमियों की आवश्यकता होगी। इसी तरह सुरक्षा के लिये भी अधिक आदमियों की जरूरत पड़ेगी।

ये सब व्यवस्थाएँ स्टेट्स को करनी होंगी। इस समय हम कोई निर्णय करने और आगे चल कर दिक्कत हो, यह गलत बात है। इस लिये स्टेट्स से पूछा जाना चाहिए कि इस विषय में उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। जब तक उनके उत्तर नहीं आ जाते हैं, तब तक कोई निश्चय या निर्णय करना संभव नहीं है। यह बात स्टेट्स को रेफर की जानी चाहिए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

इस संबंध में श्री सेन-बर्मा, भूतपूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी, का उल्लेख किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स में उनका एक इंटरव्यू छपा था। इंटरव्यू के पहले भाग में उन्होंने कुछ कहा है और दूसरे भाग में कुछ कहा है। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि यह बात संभव है, मगर इस बारे में केन्द्र ही शकले नहीं कर सकता है। इस संबंध में प्रदेशों की भी राय लेनी होगी। जब उन पर जिम्मेदारी डालनी है, तो उनकी स्वीकृति लेना भी आवश्यक है।

श्री जनेश्वर मिश्र : इतने बड़े मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा।

सभापति महोदय : वे छोड़ नहीं रहे हैं, सलाह ले रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : किस लिये सलाह ले रहे हैं? खर्चा पड़ेगा तो क्या उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा? खर्चा जो यह सरकार करती है वह अपने पैसे से करती है या जनता के पैसे से और बोटरो के पैसे से करती है? खजाना तो हम लोग देते हैं, जनता देती है। जनता के पैसे से इतना करना पड़ता है ना इनका दिमाग क्यों खराब हो रहा है?

SHRI P. G. MAVALANKAR : Do we understand that the Government of India is in favour of this proposal for lowering the voting age from 21 to 18, and that the State Governments have been asked to give their views?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : I am saying the matter on examination was found to involve a lot of expenditure and the State Governments have to be asked and referred to.

SHRI C. M. STEPHEN (Mewatpuria) : The hon. Minister is putting reliance on Article 326 for the purpose of equating adults with 21 years of age. Article 326 reads.

"... every person who is a citizen of India and who is not less than twenty-one years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature...."

That is to say supposing the law passed by the legislature says for the purpose of election 1974 supposing we say in the year 1976 any person who will be 21 years of age two years after the date of election will be entitled to vote because the date is given free to the legislators. The date on which you must be 21 years is left for the legislators to be fixed. It is not stated that

the date must be prior to the date of election. The legislators can fix a date subsequent to the date of election.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: That was not the point. The point was something else. It was in some other connection that Article 326 was referred to.

श्री-राज-नारायण पांडेय : इसके बाद बहस के दौरान यह भी कहा गया कि मतदान की प्रणाली क्या हो, कैसी हो, उसका इस बिल से संबंध नहीं है। लोगो ने कहा कि यह लिस्ट सिस्टम हो, प्रोपोर्शनल रीप्रजेंटेशन हो, जिन लोगो ने कहा मैं उनसे पूछू कि क्या उनके दल ने भी इस सिस्टम को एडॉप्ट किया है? लेकिन इस बिल से इसका संबंध नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता।

हमारे दल के आई बिजनेसमणि पाणिग्रही ने कहा कि रास्ते दो तरह के हो सकते हैं—एक रस्ता साधारण तौर पर हमेशा चल रहा और एक कम चला हुआ, लैम ट्रेवल्ड रास्ता। बिजनेसमणि पाणिग्रही जी और हमारे साथी सब जानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी मन्था रही है जिसने हमेशा वह रास्ता अपनाया है जहाँ पर लोग नहीं जाते थे, यानी लैम ट्रेवल्ड पाथ पर लोग हमें ले गये हैं। जहाँ कठिनाईयाँ हैं वह मैंने मंजूर रखी और मैं पांडेय जी से प्रार्थना करूँगा कि पहले भाग को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, वह भी इससे सहमत होंगे और दूसरे भाग में कठिनाईयो को देखते हुये इस समय वे अपने इस बिल को वापस लेंगे। (हँस)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूँगा कि समय थोड़ा सा बढ़ा दिया जाय।

सभापति महोदय : साइ पांच के बाद तो बढ़ाया नहीं जा सकता और इस पर इतनी

बर्बाद हो गई है, इसके शुरू में आपने इतना सुन्दर भाषण दिया है और बाकी सब लोगो ने भी बोल लिया है तो अब इसको ज्यादा लम्बा न करके सारांश में कह दीजिये।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : सभापति महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का हादिक समर्थन किया है। दो तीन माननीय सदस्यों ने कुछ दबे शब्दों में विरोध किया है लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई तर्क उस के पीछे दिये हों या उन के तर्क बड़े महत्वपूर्ण रहे हों, ऐसी बात नहीं है। उनके तर्क भी इस प्रकार के थे कि जिस के कारण वे चाहते तो जरूर है कि किसी प्रकार से वोटिंग एज कम की जाय लेकिन केवल विरोध मात्र करने के लिये उन्होंने इस तरह के कुछ कारण प्रस्तुत किए। माननीय मंत्री जी ने भी, जो मैंने तर्क दिये उनका कोई स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया। मैंने यह कहा था कि पैटीगम कमेटी जो इसी हाऊस की समेटी है, जिसने अपना मत व्यक्त किया है उसके बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है? मंत्री महोदय ने एक शब्द भी उसके बारे में नहीं कहा। मैंने फिर कहा था कि ज्वाइंट मेलेक्ट कमेटी आन एक्शन लाज प्रमेडमेट विल, ने यह भी कहा है, उसने अपनी यूनानिमस राय दी है कि इस तरह से आर्टिकल 326 का मशोधन होना जरूरी है सरकार संशोधन करे। उस के बारे में भी मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी के पक्ष में यह उचित नहीं है कि अपने ही सदन की दो महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार की राय व्यक्त करें और उसके बारे में कुछ बात यहाँ पर न करे। जहाँ तक माननीय मंत्री जी ने अपने दूसरे तर्क रखे हैं उन में भी कोई ऐसे तर्क नहीं हैं जो कोई समाधान प्रस्तुत करते हों। आज सम्पूर्ण विश्व में जहाँ भी देखें इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि मतदान की आयु कम की जाय और मतदान की आयु प्रत्येक देश धीरे धीरे कम करता जा रहा है। आज ही सूचना प्राप्त हुई है कि लक्जम्बर्ग ने अपने

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय]

मतदान की आयु 21 वर्ष से हटा कर के 18 वर्ष कर दी है। अभी फ स से भी इस प्रकार की सुचना प्राप्त हुई थी। तो केवल यह कह देना कि अभी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कोई अर्थ नहीं रखता। प्रदेश सरकारों की राय का ध्यान नहीं रखा, मैं इस संबंध में केवल तमिलनाडु की सरकार का उल्लेख करूंगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि की तरफ से यह संज्ञाव प्राप्त हुआ था कि वे चाहते हैं कि मतदान की आयु घटा कर 21 से 18 वर्ष की आयु और इस केलिये भारत के सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर इस का निर्णय लिया जाय। तो वह भी इस के पक्ष में हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी राज्य सरकार को भी कोई विमति इस में हो सकती है। और राज्य सरकारों ही को भी इस में आने की आवश्यकता भी नहीं है। यह तो केन्द्रीय सरकार का विषय है। चुनाव का सारा विषय केन्द्रीय सरकार का विषय है। केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करती है और माननीय मंत्री जी अपने तर्कों द्वारा किसी भी माननीय सदस्य को संतुष्ट करने में सफल नहीं हुये हैं।

उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 326 के अन्दर एडल्ट सफरेज की बात की गई है और उस में 21 वर्ष रखा गया है। लेकिन इंडियन मेजोस्टिटी ऐक्ट, पार्टनशिप ऐक्ट, हिन्दू मैरिज ऐक्ट तथा और दूसरे ऐक्ट्स के अन्दर जो एडल्ट की व्याख्या की है क्या उस को आप स्वीकार नहीं करते? यदि संविधान के अनुसार या संविधान की मंशा के अनुसार जैसा कि मंत्री जी तर्क दे रहे हैं, यह मान लिया है कि एडल्ट का अर्थ 21 वर्ष है तो आप के दूसरे कानून क्या निरर्थक हैं? अर्थात् संविधान द्वारा समर्थित नहीं हैं? या संविधान की भावना के विपरीत हैं? यदि इस प्रकार आप मानते हैं तो परस्पर विरोधाभास खड़ा हो जायगा। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय का भी ऐसा आशय नहीं है और वे स्वीकार

करते हैं कि एडल्ट की एज 18 वर्ष है और संविधान के निर्मात्यों की भी यही मंशा थी कि 18 वर्ष में एडल्ट हो जाता है। लेकिन उन समय की परिस्थितियों में वे 21 वर्ष की आयु वालों को ही यह अधिकार देना चाहते थे, उस से कम की आयु वाले को नहीं देना चाहते थे, किन्तु आज हमारी आजादी के 25-26 वर्ष पूरे हो गए हैं, प्रजातंत्र की मान्यताएं हमारी खड़ी हो गई हैं, लोग प्रजातंत्र को समझने लगे हैं और आज युवक खड़ा हुआ है, अपने अधिकार के लिए बलपूर्वक मांग कर रहा है कि हमको अधिकार वह मिलना चाहिए। माननीय सदस्य तथा अर्थ-शास्त्री डा० बी. के. आर० बी. राव और शिक्षा शास्त्री माननीय मावलंकर जी जैसे और दूसरे लोगों ने भी, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स तथा देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने, सबने एक मत से कहा है कि वोटिंग एज कम की जानी चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज वह युवक जगा है, अपना अधिकार ले कर रहेगा और जैसा कि माननीय सदस्य डागा जी ने कहा है जो आप के ही दल के हैं कि आप प्रेम से नहीं देते, प्यार से नहीं देते तो युवक तो इतना सजग और सचेत है कि वह बलपूर्वक अपने अधिकार को प्राप्त कर के रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए उचित है हम उस को यह अधिकार सहर्ष दें। यह मांग समय की मांग है। इससे प्रजातंत्र को बल मिलेगा भारत के नवनिर्माण की दिशा में यह एक सही कदम होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों ने इस का समर्थन किया है और मंत्री महोदय भी इसे स्वीकार करेंगे। वे पुनः विचार करें और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। सदन से भी मैं इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करूंगा।

MR. CHAIRMAN: Would the hon. Mover like to press his Bill or would he consider withdrawing it?